

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड



वार्षिक रिपोर्ट

2010–2011 और 2011–2012

4था तल, ईस्ट टॉवर, एनबीसीसी प्लेस,
भीष्म पितामाह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दूरभाष संख्या: 91(11) 24360620, 24360654, 24360656

विषय-वस्तु

1. प्रस्तावना	7
2. राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के संबंध में	8
3. एनबीए द्वारा की गई पहलें	10
4. ई-गवर्नेंस	12
5. प्रत्यायन	13
6. एनबीए की प्रमुख उपलब्धियां	15
7. कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम	16
8. सामान्य परिषद्/ कार्यकारी समिति की बैठकें	17
9. वित्त	19
10. लेखा विवरण 2010-11	21
11. लेखापरीक्षा रिपोर्ट	22
12. लेखा विवरण 2011-12	41

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड



भूमिका

तकनीकी शिक्षा की वृद्धि और गुणवत्ता के लिए उत्तरादायी एक राष्ट्र स्तरीय शीर्षस्थ सलाहकार निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा सितंबर, 1994 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) की स्थापना की गई थी। एनबीए की तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के मूल्यांकन की प्रक्रिया तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

विश्वभर में तकनीकी शिक्षा के मानकीकरण के साथ औद्योगिक परिदृश्य में संगत आईएसओ मानकीकरण आंदोलन की आवश्यकता उजागर की है चूंकि उन्हें तकनीकी रूप से योग्य मानव संसाधन का मुख्य भंडार माना जाता है।

भारत में हमने शिक्षा के क्षेत्र, विशेषकर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में त्वरित विकास देखा है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि मात्रा के रूप में अत्यधिक वृद्धि ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मापदंड तैयार करना आवश्यक बना दिया है। इस उद्देश्य के साथ एनबीए ने प्रत्यायन की प्रक्रिया के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक एजेंडा तैयार किया है।

इस संदर्भ में एनबीए ने एक समिति का गठन किया है जिसे प्रत्यायन की प्रक्रिया का मैनुअल तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। यह आशा की जाती है कि यह मैनुअल छात्रों, अभिभावकों, नियोक्ताओं और वृहत स्तर पर समाज को एनबीए द्वारा प्रदत्त गुणवत्ता आश्वासन एवं उपभोक्ता संरक्षण के सभी पहलुओं के बारे में एक व्यापक सूचना प्रदान करेगा और यह शैक्षिक कार्यक्रमों के संबंध में उचित प्रकार से सूचित विकल्पों में सहायक होगा।

एनबीए ने प्रत्यायन की प्रक्रिया के लिए मसौदा दस्तावेज तैयार करने हेतु कई व्यक्तिगत समितियों का गठन किया है जिसमें एनबीए तथा एआईसीटीई के तत्वावधान में विभिन्न विषयों में प्रबुद्ध शिक्षाविद् शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि इन सभी विविध समितियों द्वारा प्रदान किए गए विचारों पर इस दस्तावेज को तैयार करने के समय विचार किया गया है।

इस दस्तावेज को डॉ. बी.सी. मजूमदार, अध्यक्ष, एनबीए के दिशा-निर्देश के तहत तथा डॉ. डी.के. पालीवाल, सदस्य सचिव, एनबीए तथा उनके दल के अथक प्रयासों के साथ तैयार किया गया है। यह दस्तावेज सभी भागीदारों के सुझावों के लिए खुला है। हम भारत में तकनीकी शिक्षा के प्रत्यायन की पारदर्शी और भरोसेमंद प्रणाली प्रदान करने के लिए एनबीए के प्रयासों में आगे और सुधार के अवसरों की खोज करने के इच्छुक होंगे।

1. प्रस्तावना

- 1.1 वैश्विक परिदृश्य में भारत उच्च शिक्षा प्रणाली में तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसलिए, उच्च शिक्षा क्षेत्र का विस्तार अनिवार्य है। पिछले दो दशकों में ही भारत के शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि और विकास हुआ है। संस्थाओं की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है जो 1950-51 में मात्र 30 कॉलेजों से बढ़कर 20,000 से अधिक कॉलेज और डिग्री प्रदान करने वाले 20 विश्वविद्यालयों से बढ़कर 500 विश्वविद्यालय हो गई है जिसमें सभी प्रकार की संस्थाएँ, नामतः केन्द्रीय, राज्य, निजी, सरकरा द्वारा सहायता प्राप्त, सम विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं। चुनौती भागीदारों द्वारा स्वीकार्य ढांचे के भीतर मात्रा के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इन चुनौती का सामना करने के लिए गुणवत्ता के मुद्दे को हल किए जाने, इस पर बातचीत करने तथा इसे एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- 1.2 महाद्वीप में इस बारे में वाद है कि गुणवत्ता के मानक किसे तय करने चाहिए। विभिन्न देशों में प्रचलित प्रत्यायन प्रणाली शैक्षिक गुणवत्ता के मापदंड प्रदान करती है। प्रत्यायन विश्व भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मुख्य साधन है जो इस तथ्य को दोहराता है कि मान्यता प्राप्त करने में संस्था अथवा अध्ययन कार्यक्रम विशिष्ट न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध और बाह्य समीक्षा के लिए खुला हो तथा वह सतत रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के तरीके खोजे।
- 1.3 प्रत्यायन प्रक्रिया के माध्यम से कोई एजेंसी अथवा उसकी निर्दिष्ट प्रतिनिधि कुछ पूर्वनिर्धारित न्यूनतम मापदंड अथवा मानकों को पूरा करने के लिए औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने हेतु किसी उच्च शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता का समग्र रूप से अथवा किसी विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। इस प्रक्रिया का परिणाम सामान्यतः मान्यता का दर्जा प्रदान करना और कई बार एक समय-सीमा वैधता में शैक्षिक कार्यक्रम चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान करना होता है।
- 1.4 इस प्रक्रिया में आरंभिक तथा आवधिक स्व-अध्ययन तथा बाह्य व्यक्तियों द्वारा मूल्यांकन शामिल हो सकता है। प्रत्यायन प्रक्रिया में सामान्यतः विशिष्ट गतिविधियों के साथ तीन कदम शामिल हैं :-
 - (i) संस्था अथवा शैक्षिक कार्यक्रम के संकाय, प्रशासकों और स्टाफ द्वारा संचालित एक स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया जिसका परिणाम एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना होता है जो प्रत्यायन निकाय के मानकों और मापदंडों के सेट का संदर्भ लेती है।
 - (ii) प्रत्यायन संगठन द्वारा चुने गए व्यक्तियों के दल द्वारा संचालित एक अध्ययन दौरा जो साक्ष्य की समीक्षा करता है, परिसरों के दौरे करता है और शैक्षिक तथा प्रशासनिक स्टाफ के साक्षात्कार लेता है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यायन निकाय को सिफारिश सहित एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है, और
 - (iii) गुणवत्ता से संबंधित निर्धारित मापदंड के आधार पर साक्ष्य की जांच और सिफारिश तथा इसके परिणामस्वरूप अंतिम निर्णय तथा संस्था और उसकी छात्राईयों को औपचारिक निर्णय सूचित करना, यदि उचित हो।
- 1.5 राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं योजना में प्रत्यायन के संबंध में एक तीन सूत्री एजेंडा प्रदान किया गया है, नामतः सभी उच्च शैक्षिक संस्थाओं के लिए एक अनिवार्य प्रत्यायन प्रणाली; इन रेटिंग एजेंसियों का स्तर जांचने के लिए बहु रेटिंग एजेंसियों का सृजनय संस्थागत रेटिंग के अतिरिक्त विभाग-वार रेटिंग/वर्तमान में प्रत्यायन अनिवार्य नहीं है और प्रत्यायन की प्रक्रिया के अभिशासन के लिए कोई कानून नहीं है।
- 1.6 देश में गुणवत्ता के मापदंड के विभिन्न पहलुओं विशेषकर नई संस्थाओं और कार्यक्रमों के रूप में उच्च शिक्षा के अप्रत्याशित विस्तार, नए विषय आरंभ करने, कई रूप से विदेशी संस्थाओं का प्रवेश और संचालन तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों (डब्ल्यूटीओ/परस्पर मान्यता, वाशिंगटन समझौता तथा अन्य राष्ट्रीय प्रोटोकॉल) के माध्यम से वैश्विक मान्यता की इच्छा के संदर्भ में काफी विचार-विमर्श हुआ है। भारत में उच्च शैक्षिक संस्थाओं सार्वजनिक तथा निजी रूप से वित्तपोषित दोनों, के महत्वपूर्ण विस्तार के ध्यान में रखते हुए, एक ऐसी अनिवार्य प्रत्यायन प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता है जो संस्थाओं में शैक्षिक गुणवत्ता से संबंधित विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के लिए छात्रों और अन्य भागीदारों के लिए समान संदर्भ ढांचा प्रदान करे।



- 1.7 संस्थाओं के प्रत्यायन में दो केन्द्रीय निकाय हैं: राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए); एनएएसी का गठन आंतरिक और बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन के समेकन के जरिए गुणवत्ता को एक आवश्यक घटक बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1994 में किया गया था। एनबीए का गठन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा एआईसीटीई अधिनियम, 1987 की धारा 10(यू) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था।
- 1.8 यह आशा है कि उच्च शैक्षिक संस्थाओं के प्रत्यायन और इस उद्देश्य के लिए एक विनियामक प्राधिकरण के सृजन के लिए विधान पारित होने के साथ गुणवत्ता संबंधी कई मुद्दे, कम से कम कुछ समय के लिए हल हो जाएंगे।
- 1.9 सतत सुधार की भावना किसी भी गुणवत्ता संबंधी पहल के लिए एक पूर्व अपेक्षा होती है। शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आईएसओ 9000 और ऐसी पहलें उपभोक्ता आशाओं को पूरा करने तथा उसे पार करने के लिए समग्र प्रयास करने पर ध्यान केन्द्रित करती हैं। प्रत्यायन की प्रक्रिया को इस परिवेश में देखा जाना चाहिए।
- 1.10 एनबीए तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि को सुकर बनाएगा तथा उद्योग जगत और वृहत स्तर पर समाज की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी शिक्षा की संगतता स्थापित करने में सहायक होगा।
- 1.11 राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) देश में एक वृद्धित प्रत्यायन अवसंरचना आरंभ करने की प्रक्रिया में है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुरूप है। विभिन्न विषयों के लिए अवसंरचना को वृहत उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्तापरक मानकों को सुनिश्चित करना है ताकि राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- 1.12 एनबीए का उद्देश्य वाशिंगटन समझौता का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनना है जिस पर व्यावसायिक इंजीनियरिंग में अर्हता (सामान्यतः चार वर्षीय पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् अर्जित किया जाता है) के प्रत्यायन में अत्याधिक समानता को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रत्यायन एजेंसियों के बीच पहली बार 1989 में हस्ताक्षर किए गए थे। आज की स्थिति के अनुसार, वाशिंगटन समझौते के महत्वपूर्ण सदस्य बनने वाले 13 राष्ट्र हैं।
- 1.13 एनबीए संबंधों का विकास करने, स्नातकों द्वारा प्रत्यायित कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् प्रदत्त शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हताओं की परस्पर स्वीकार्यता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की अन्य शाखाओं में समझौता ज्ञापन तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य प्रत्यायन एजेंसियों के साथ भी कार्य करेगा।

2. राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के संबंध में

- 2.1 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश में तकनीकी शिक्षा की वृद्धि और गुणवत्ता की निगरानी के लिए उत्तरदायी राष्ट्र स्तर पर एक सांविधिक निकाय की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार, संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) की स्थापना की गई थी। अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों के एक भाग के रूप में एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मसी, वस्तुकला तथा संबद्ध विषयों में डिप्लोमा स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता की सक्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सितंबर, 1994 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) की स्थापना की।
- 2.2 तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों के प्रत्यायन की प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा विशेषकर तकनीकी विषयों में शिक्षा की गुणवत्ता और संगतता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने वर्तमान स्वरूप में एनबीए, एआईसीटीई के तत्वावधान में 7 जनवरी, 2012 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। एनबीए निर्धारित मानदंडों के आधार पर तकनीकी संस्थाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन का संचालन करता है।
- 2.3 विजन

“सभी भागीदारों जैसे कि शिक्षाविदों, बिजनेस, घरानों, शैक्षिक संस्थाओं, सरकार, उद्योग-जगत, विनियामकों तथा छात्रों और उनके अभिभावकों की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा संगतता सुनिश्चित करने में उच्च स्तरीय विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए एक विश्व स्तर के प्रत्यायन संगठन के रूप में उभरना।”



2.4 मिशन

"उच्च शिक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता, स्व:मूल्यांकन तथा जिम्मेदारी के लिए प्रेरित करना जो संस्थाओं को अपने शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने तथा ऐसी शिक्षण प्रक्रियाएं अपनाने में सहायक होगा जो उन्हें तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों और/अथवा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा प्रत्यायन के लिए उच्च गुणवत्तापरक व्यावसायिकों को तैयार करने का पात्र बनाएंगी।"

2.5 उद्देश्य

2.5.1. एनबीए के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं

- विशिष्ट दिशा-निर्देशों, मानदंडों और मानकों के आधार पर तकनीकी संस्थाओं अथवा कार्यक्रमों का आवधिक रूप से मूल्यांकन करना।
- तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता जागरूक प्रणाली विकसित करना जहां गुणवत्ता, बाजार की आवश्यकताओं के प्रति संगतता और सभी भागीदारों द्वारा भागीदारी प्रमुख और मुख्य निर्धारक है।
- ऐसी तकनीकी शिक्षा प्रणाली तैयार करना जो सक्षमता के साथ वृद्धि के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हो, सामाजिक विकास के साथ प्रतिस्पर्धात्मक और तुलनीयता के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सहयोग देगी।
- वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित गुणवत्ता में बैचमार्क प्रदान करना।
- तकनीकी शिक्षा के सभी क्षेत्रों में मानव पूंजी का संचयन।
- पात्र संस्थाओं के लिए एक ऑनलाइन इंटरएक्टिव तथा संबद्ध प्रत्यायन प्रक्रिया को मुख्य धारा में लाना तथा अस्तित्व में लाना।
- उन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर कक्षा सक्षों के आयोजन द्वारा परिणाम आधारित शिक्षा के प्रति जागरूकता सृजित करना जो तत्पश्चात् मूल्यांककों के लिए प्रशिक्षण का संचालन करेंगे।

2.5.2. उपर्युक्त के अनुसरण में एनबीए के पास शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन और प्रत्यायन के विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने का अधिदेश है। मूल्यांकन तथा प्रत्यायन विभिन्न मापदंडों पर आधारित होंगे। इसमें ये शामिल हो सकते हैं पर वे इन तक सीमित नहीं होंगे, संस्थागत मिशन और उद्देश्य; संगठन और अभिशासनय अवसंरचना सुविधाएं; शिक्षण तथा अधिगम की गुणवत्ताय पाठ्यचर्या डिजाइन तथा समीक्षा; सहायक सेवाएं (पुस्तकालय, इत्यादि); और सामान्य परिषद् (जी.सी.) तथा/अथवा कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा निर्णित कोई अन्य पहलु।

2.6 एनबीए के प्राधिकरण

- (i) सामान्य परिषद्
- (ii) कार्यकारी समिति
- (iii) अध्यक्ष; और
- (iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें सामान्य परिषद् द्वारा गठित और/अथवा घोषित किया जाए।

2.6.1. सामान्य परिषद्

सामान्य परिषद् एनबीए का मूल प्राधिकरण है, और वह इसकी समग्र गतिविधियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यह कार्यकारी समिति को नीतिगत निर्देश/दिशा-निर्देश देती है जो तदनुसार एनबीए की गतिविधियों तथा कार्यों के प्रबंधन के लिए कदम उठाती हो।

2.6.2. कार्यकारी समिति

एनबीए के कार्यों को कार्यकारी समिति, सामान्य परिषद् तथा एआईसीटीई के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नियमों और उप-विधानों के अनुसार प्रबंधित, स्थापित, निर्देशित तथा नियंत्रित किया जाता है। कार्यकारी समिति सामान्यतः एनबीए के उन उद्देश्यों को पूरा करती है जो उसके संगम ज्ञापन तथा नियमों में निर्धारित किए गए हैं।

2.6.3. अध्यक्ष

एआईसीटीई का अध्यक्ष एनबीए की सामान्य परिषद् का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष, सामान्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करता है जो एनबीए के नियमों और उप नियमों के तहत निर्धारित किए गए हों।

2.6.4. सामान्य परिषद् द्वारा गठित अन्य प्राधिकरण

क) वित्त समिति:

एनबीए की वित्त समिति का गठन संगम ज्ञापन और नियमों के खंड 44 के अनुसार किया गया है। वित्त समिति कैलेंडर वर्ष के क्रमशः अगस्त और दिसंबर में अगले वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तथा बजटीय अनुमान पर विचार करती है।

ख) मूल्यांकन और प्रत्यान समितियां:

एनबीए में प्रत्येक विषय के लिए मूल्यांकन और प्रत्यान समितियां हैं। इन समितियों की अध्यक्षता एक प्रबुद्ध शिक्षाविद द्वारा की जाती है जिसके पास उसके व्यवसाय और प्रत्यान प्रक्रिया में काफी अनुभव हो। ये समितियां प्रत्यान के उद्देश्य से कार्यक्रमों के मूल्यांकन के संबंध में विशेषज्ञ स्वयंसेवकों के दौरा करने वाले दल की रिपोर्टों पर विचार करती हैं और एनबीए की कार्यकारी समिति को सिफारिश देती हैं।

ग) अपीलीय समिति:

इस समिति की अध्यक्षता भी वरिष्ठ शिक्षाविद/व्यवसायिक द्वारा की जाती है। इसकी भूमिका संस्थाओं द्वारा उनके आवेदन के संबंध में कार्यकारी समिति के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील पर विचार करना और एनबीए की सामान्य परिषद् को सिफारिश देना है।

घ) शैक्षिक समितियां:

एनबीए में प्रत्यान प्रदान करने के लिए मापदंडों तथा पैमानों की सिफारिश करने के लिए कई शैक्षिक समितियां हैं। ये समितियां इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रबंधन, वास्तुकला और होटल प्रबंधन इत्यादि विषयों में हैं जिन्हें एआईसीटीई अधिनियम, 1987 के तहत तकनीकी शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है।

2.6.5. एनबीए के अधिकारी – वर्तमान एनबीए के निम्नलिखित अधिकारी हैं:—

1. अध्यक्ष
2. सदस्य सचिव

एनबीए के समझौता ज्ञापन तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से डॉ. बी.सी. मजूमदार को एनबीए के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

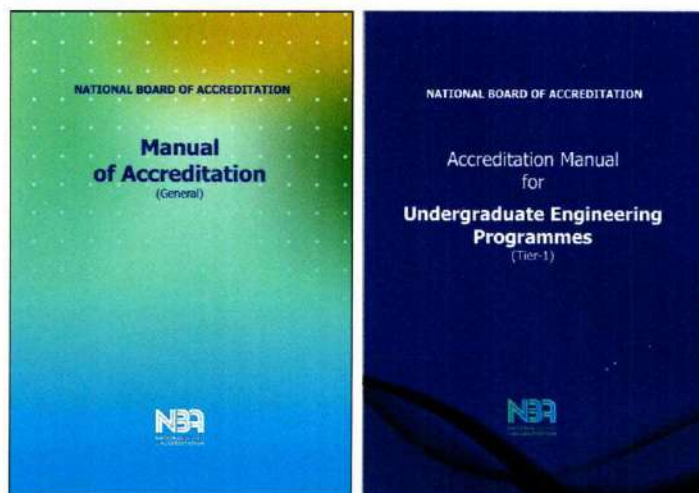
एनबीए के समझौता ज्ञापन तथा नियमों के प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष, एनबीए ने डॉ. डी.के. पालीवाल को एनबीए के प्रथम सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया।

3. एनबीए द्वारा की गई पहलें

3.1 एनबीए ने संगम ज्ञापन और नियमों के प्रावधानों के अनुसार उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास में निम्नलिखित गतिविधियां की हैं/आरंभ की हैं:—

- i) बैकलॉग को क्लीयर करने के लिए दौरे आयोजित किए/समीक्षाधीन अवधि के दौरान 203 दौरे किए गए।
- ii) एक कदम के रूप में एनबीए ने पैसेंड्रिया आधार पर दो व्यावसायिक यात्रा सेवा प्रदाताओं के साथ करार किया। वे बिना रुकावट डोर टू डोर यात्रा तथा अध्यक्ष/विशेषज्ञों/एनबीए टीम के स्वयंसेवकों को सूचना प्रदान कर रहे हैं।
- iii) एनबीए प्रत्यान दस्तावेजों में संशोधन करने की प्रक्रियारत हैं ताकि इसे अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु मापदंडों और पैमाना तैयार करने/उसकी सिफारिश करने के लिए कई समितियां गठित की गई हैं।
- iv) अध्यक्ष/विशेषज्ञों/स्वयंसेवकों इत्यादि द्वारा उपयोग किए जाने वाली रिपोर्ट के मैनुअल, प्रपत्र में संशोधन करना।
- v) एनबीए शिक्षाविदों, उद्योग जगत में कार्यरत व्यावसायिकों, अनुसंधानकर्ताओं इत्यादि से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करते हुए विशेषज्ञों (अध्यक्ष/विशेषज्ञ/स्वयंसेवकों) की निर्देशिका में संशोधन कर रहा है जिसका एनबीए की विभिन्न समितियों के लिए विशेषज्ञों की पहचान करने में उपयोग किया जाएगा।

- vi) विभिन्न भागीदारों को प्रत्यायन प्रक्रिया के नवीनतम/संशोधित मापदंडों, दस्तावेजों इत्यादि से परिचित कराने के लिए दिनांक 31.03.2012 तक सोलह क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- vii) कागज रहित कार्यालय के लिए समग्र ई-कार्यालय विश्वसनीयता के साथ एनबीए के सामान्य कार्यकरण में पारदर्शिता और सक्षमता में वृद्धि होगी।
- viii) शैक्षिक क्षेत्र के लिए व्यक्तियों के आवागमन की सुविधा और वैश्विक रूप से नौकरी के अवसरों की खोज के उद्देश्य से शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं की परस्पर स्वीकार्यता हेतु तकनीकी/ध्यावसायिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्षेत्र में अन्य प्रत्यायन एजेंसियों के साथ काम करना, संबंधों का विनाश करना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना।
- ix) अपने उद्देश्यों को पूरा करना और भागीदारों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्वसनीयता स्थापित करना।
- x) वेब-पोर्टल आरंभ करने की तैयारी करना जिसमें एनबीए के कर्मचारियों के एशोसिएट्स तथा विभिन्न समितियों के सदस्य तथा वैयक्तिक संस्थाओं का समर्थन होगा। यह एशोसिएट तथा संस्थाओं को उनसे संबंधित कुछ सूचना को अपलोड करने/चौक करने के उद्देश्य से प्रणाली के साथ आंशिक रूप से इंटरएक्ट करेगा।
- xi) लागत में कमी लाने और बड़ी संख्या में लक्षित श्रोताओं तक पहुंच के लिए वेब आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा वेबिनार आरंभ करना।
- xii) एनआईएनईएस नामक ई-हाउस विकसित सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन प्रत्यायन के लिए टीमों के संघटकों में भेद को दूर करने में दौरा करने वाली प्रत्यायन टीमों के संविधान की प्रक्रिया को सुकर बनाएगा।
- xiii) परिणाम आधारित प्रत्यायन प्रक्रिया की ओर ध्यान केंद्रित करना जिसका पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या के लिए अत्यधिक अधिमानता है।
- xiv) प्रत्यायन मैनुअल विकसित करना।
- xv) अवर स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के प्रत्यायन के लिए मैनुअल तैयार करना और कार्यान्वित करना ताकि इसे वाशिंगटन समझौते के सदस्यों के समकक्ष बनाया जा सके।
- xvi) अन्य विषयों में अवर स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के अनुरूप परिणाम आधारित प्रत्यायन मैनुअल तैयार करना और कार्यान्वित करना जो वाशिंगटन समझौते के अनुरूप है।
- xvii) अधिक विविधता के साथ तकनीकी शिक्षा की बड़ी प्रणाली को देखते हुए एनबीए ने प्रत्यायन की दो-आगामी प्रणाली आरंभ की है।

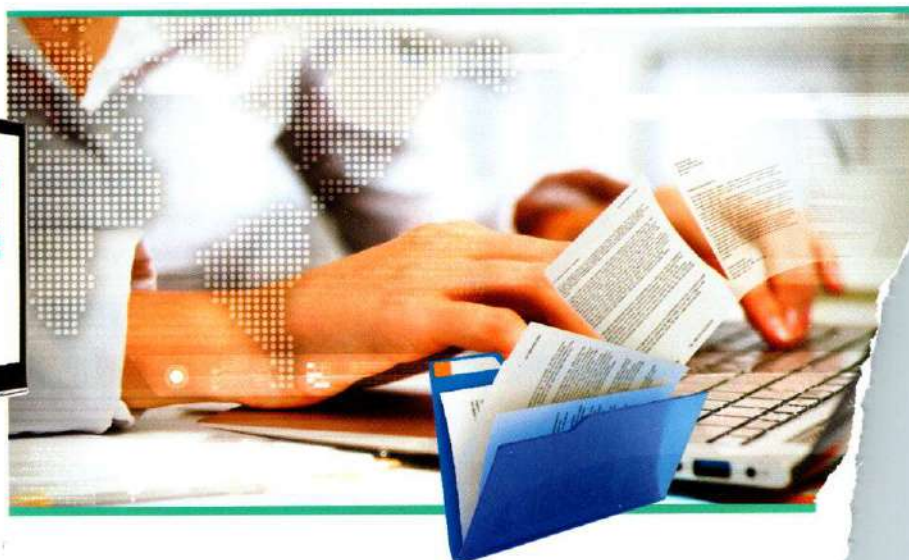


ई-एनबीए के संबंध में बहु-पक्षीय वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र

ई-एनबीए के संबंध में बहु-पक्षीय वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र

4. ई-गवर्नेंस

- 4.1 एनबीए की प्रमुख पहलों में से एक अपना समग्र ई-ऑफिस सॉल्यूशन आरंभ करना तथा वेब पोर्टल आरंभ करने का प्रयास करना है। वेब पोर्टल के टेम्पलेट को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसमें प्रत्यायन प्रक्रिया, एनबीए के मिशन तथा मिशन, एनबीए के उद्देश्य, पब्लिक इंटरफेस, 360 डिग्री फीडबैक तंत्र, संस्थाओं/मूल्यांककों के लिए क्या करें और क्या न करें इत्यादि जैसी विशिष्ट विशेषताएं निहित हैं।
- 4.2 सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशन (एसआरएस) एनआईसी द्वारा तैयार की गई है। एसआरएस में प्रत्यायन की प्रक्रिया, एचआर, सुरक्षा, सतर्कता, सार्वजनिक शिकायत, आरटीआई, बैठकों के लिए बेसिक मॉड्यूल्स, कानूनी मामले, वित्त, एनआईएनईएस प्रक्रिया के समेकन (एनबीए संस्थान मूल्यांकन प्रणाली) इत्यादि से संबंधित विभिन्न मॉड्यूल्स शामिल हैं।
- 4.3 ई-ऑफिस सॉल्यूशन के क्रियान्वयन का प्रथम चरण अर्थात् एनबीए के पुराने रिकार्ड का डिजिटलीकरण और डीएमएस शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके कार्यान्वयन पर संस्थाओं के पास एनबीए के वेब पोर्टल का समर्पित अकाउंट होगा जिसका जब भी आवश्यकता हो संबंधित संस्था द्वारा आंशिक रूप से स्वचालन किया जा सकेगा। संबंधित संस्था दो भागों में पीडीएफ फॉर्मेट में स्व:मूल्यांकन रिपोर्ट (एसएआर) तथा संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर सकती है और इंटरनेट बैंकिंग की तर्ज पर कुछ कार्य कर सकती है। संस्था वेब पोर्टल पर अपने अकाउंट तथा अन्य विवरण देख सकती है। तथापि, इस वेब पोर्टल का समग्र नियंत्रण एनबीए के पास होगा। इस उद्देश्य के लिए एनबीए ने समर्पित छ: एमबीपीएस इंटरनेट लीजड लाइन आरंभ की है। एसआरएस के अनुसार समग्र कार्यालय ऑटोमेशन (ई-सॉल्यूशन) के लिए वेब आधारित उद्यमी वर्ग सॉल्यूशन के डिजाइन, विकास, नियुक्ति, होस्टिंग तथा अनुसरण की प्रक्रिया आरंभ की गई है।
- 4.4 एनबीए के सम्मेलन कक्ष में प्रोन्नत उपकरण के साथ सार्वजनिक संबोधन प्रणाली स्थापित की गई है।
- 4.5 एनबीए ने वेबिनार प्रणाली बहु-पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा आरंभ की है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विभिन्न समितियों और टीमों की बैठक सुकर बनाना है जहां भागीदार विभिन्न स्थानों से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे तथा रिकार्डिड सेमीनार वेबिनार के रूप में उपलब्ध होंगे जहां अधिकतम 100 सेमिनार पंजीकरण करवा सकते हैं तथा भाग ले सकते हैं। इस प्रणाली में कहीं भी आयोजित होने वाले किसी इवेंट के सीधे वेब प्रसारण की भी सुविधा है।
- 4.6 सभी ऑफिस कार्यों के लिए थिन क्लाइंट/सर्वर प्रणाली आरंभ की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए एनबीए ने 2 घंटे की पावर बैकअप सुविधा के साथ लगभग 15 टीबी के भंडारण क्षमता के साथ आईबीएम के ब्लेड सर्वर (9 ब्लेड) स्थापित की है। यह एक केन्द्रित स्थान पर आंकड़ों की ऑनलाइन स्टोरेज को सुकर बनाएगा। यह आंकड़ों को सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक रखा जाना भी सुविधाजनक बनाएगा और इन आंकड़ों को जब भी आवश्यक हो पुनः प्राप्त किया जा सकेगा।
- 4.7 एनबीए ने विजिटर रिकार्ड रखने के उद्देश्य से इन-हाउस एप्लीकेशन नामतः विजिटर प्रबंध प्रणाली भी तैयार की है। इस एप्लीकेशन की प्रमुख कार्यात्मकता वास्तविक समय अधिसूचना तथा एनबीए के संबद्ध अधिकारी को मिलने के लिए विजिटर के अनुरोध का अनुमोदन है।
- 4.8 एक बार एनबीए द्वारा समग्र ई-सॉल्यूशन कार्यान्वित हो जाने पर इससे कागज रहित कार्यालय स्थापित होगा और कार्यकरण में पारदर्शिता तथा सक्षमता में वृद्धि होगी।



5. प्रत्यायन

- 5.1 प्रत्यायन गुणवत्ता सुनिश्चनय तथा सुधार की एक प्रक्रिया है जहां किसी अनुमोदित संस्था में किसी कार्यक्रम का यह जांचने के लिए अवस्थापनात्मक मूल्यांकन किया जाता है कि संस्था और कार्यक्रम एआईसीटीई द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों और मानकों को पूरा करना तथा उसमें आगे बढ़ना जारी रखे। प्रत्यायन में विश्वविद्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं द्वारा डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने की प्रणाली को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। परंतु प्रत्यायन यह गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करता है जो शिक्षा का लक्ष्य होता है तथा वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों द्वारा संस्था के लक्ष्यों का ईमानदारी से पालन और उन्हें प्रभावी से प्राप्त किया जाता है तथा यह कि संस्था ने प्रत्यायन की वैध अवधि में शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावित सुनिश्चित करने के लिए योग्यता का प्रदर्शन किया है।



- 5.2 एनबीए प्रत्यायन उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए गुणवत्ता आश्वासन योजना है। यह भारत में उन सभी संस्थाओं के लिए खुली है जो इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, फार्मेसी, होटल प्रबंधन तथा खान-पान प्रौद्योगिकी, शहर तथा देश आयोजना, अनुपयुक्त कला तथा शिल्पकला में छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करती हैं।

- 5.3 रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रत्यायन की स्थिति निम्नानुसार दी गई हैं:

रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रत्यायन की स्थिति

I- सितंबर, 2010 तक लंबित आवेदनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	लंबित आवेदनों की संख्या	प्रत्यायन के लिए आवेदक कार्यक्रमों की संख्या	निपटाए गए आवेदनों की संख्या	प्रत्यायित कार्यक्रमों की संख्या	प्रत्यायित न किए गए कार्यक्रमों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	01	04	—	04	—
2.	आंध्र प्रदेश	71	185	—	—	—
3.	असम	01	04	—	—	—
4.	चण्डीगढ़	06	22	—	—	—
5.	दिल्ली	10	22	—	—	—
6.	गोवा	05	13	—	—	—
7.	गुजरात	68	196	01	01	—
8.	हरियाणा	18	52	—	09	—
9.	हिमाचल प्रदेश	01	01	—	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—
11.	झारखण्ड	04	26	—	03	02
12.	कर्नाटक	97	333	—	—	—
13.	केरल	11	24	—	—	—
14.	मध्य प्रदेश	61	181	—	—	—
15.	महाराष्ट्र	—	250	840	—	—
16.	उड़ीसा	13	32	—	03	01
17.	पुदुचेरी	01	02	—	—	—
18.	पंजाब	22	50	—	03	—
19.	राजस्थान	19	67	—	—	—
20.	सिक्किम	—	02	04	—	—
21.	तमिलनाडु	85	238	—	17	—
22.	उत्तर प्रदेश	88	214	01	01	—
23.	उत्तराखण्ड	05	17	—	—	—
24.	पश्चिम बंगाल	18	50	—	16	05
	योग	857	2577	02	57	08

II- नवंबर, 2010 से 31 मार्च, 2012 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा उनकी स्थिति

क्र.सं.	राज्य	लंबित पिछले आवेदनों की संख्या	बंद किए गए पिछले आवेदनों की संख्या	लंबित पिछले आवेदनों की कुल संख्या	प्राप्त नए आवेदनों की संख्या	लंबित पिछले आवेदनों की कुल संख्या	प्रत्यापन के लिए आवेदन करने वाले कार्यक्रमों की संख्या	संचालित दौरों की संख्या	प्रत्यापित कार्यक्रमों की संख्या	प्रत्यापित नहीं किए गए कार्यक्रमों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	00	00	00	01	01	03	00	00	00
2	आंध्र प्रदेश	71	33	38	38	76	318	24	54	25
3	असम	01	01	00	00	00	00	00	00	00
4	चण्डीगढ़	06	06	00	01	01	04	02	07	01
5	दिल्ली	10	06	04	07	11	24	04	03	02
6	गोवा	05	04	01	01	02	07	00	00	00
7	गुजरात	67	63	04	08	12	34	14	20	10
8	हरियाणा	15	09	06	01	07	18	06	12	04
9	हिमाचल प्रदेश	01	00	01	01	02	08	01	04	00
10	जम्मू और कश्मीर	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11	झारखण्ड	03	01	02	00	02	11	02	08	02
12	कर्नाटक		97	65	32	17	49	169	23	60
13	केरल	11	06	05	04	09	16	03	09	00
14	मध्य प्रदेश	61	58	03	08	12	33	08	26	04
15	महाराष्ट्र	250	188	62	79	141	263	50	96	43
16	उड़ीसा	12	07	05	05	10	35	05	04	04
17	पंडिचेरी	01	01	00	00	00	00	00	00	00
18	पंजाब	21	19	02	04	06	35	02	05	01
19	राजस्थान	19	19	00	09	09	23	09	16	02
20	सिक्किम	02	01	01	01	02	05	00	00	00
21	तमिलनाडु	68	04	64	72	136	539	56	152	41
22	उत्तर प्रदेश	87	85	02	21	24	64	14	12	17
23	उत्तराखण्ड	05	04	01	01	02	04	01	00	00
24	पश्चिम बंगाल	13	04	09	03	12	37	09	08	10
	योग	826	584	242	282	526	1650	233	496	184

6. एनबीए की प्रमुख उपलब्धियां

- 6.1 एनबीईईए की पूर्ण सदस्यता: एनबीईईए (एशिया में इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए प्रत्यायन निकायों का नेटवर्क) की स्थापना पेनाग, मलेशिया में इसकी प्रथम महा एसेम्बली में दिनांक 8 अगस्त, 2007 को की गई थी। इस नेटवर्क द्वारा इंजीनियरिंग शिक्षा का संवर्धन करने तथा एशिया में बेहतर प्रत्यायन प्रणाली के लिए परस्पर सहयोग विकसित करने की आशा की गई है।
- 6.2 राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व को वर्ष 2011 में एनबीईईए की संपूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी।
- 6.3 प्रत्यायन संबंधी पहला विश्व सम्मेलन (WOSA-2012): एनबीए ने होटल अशोक, नई दिल्ली में 25 से 28 मार्च, 2012 तक पहले विश्व प्रत्यायन सम्मेलन (WOSA-2012) का आयोजन किया जो तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले भारतीय परिसरों के संबंध में वैश्विक रूप से गुणवत्तापरक मानकों के वातावरण के सृजन के अपने एक उद्देश्य को पूरा करने शैक्षिक अध्ययन के लिए विश्व भर में छात्रों के निर्बाध आवागमन के संवर्धन पर ध्यान देने और वैश्वीकरण के इस युग में बिना किसी निहितार्थों के उनके कैरियर के लिए तकनीकी व्यावसायिक प्रदान करने के लिए एनबीए द्वारा की गई एक पहल है।



- 6.3.1 इस सम्मेलन का उद्देश्य "प्रत्यायन के जरिए उत्कृष्टता प्राप्त करना" था। इस सम्मेलन में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में भारतीय तथा वैश्विक अग्रणियों, शैक्षिक प्रशासकों, नीति निर्माताओं तथा विनियामक निकायों, कॉर्पोरेट तथा उद्योग जगत को इकट्ठा किया। सम्मेलन ने वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए भारतीय इंजीनियरिंग छात्रों तथा व्यावसायिकों की सहायता के लिए संपूर्ण हस्ताक्षरकर्ता का दर्जा हासिल करने हेतु वाशिंगटन समझौते के साथ भारत की चालू वार्ता को सुदृढ़ीकृत किया।



- 6.3.2 WOSA-2012 में काफी उत्साहजनक भागीदारी हुई जिसने लगभग 800 भागीदारों ने भाग लिया।
- 6.3.3 WOSA-2012 में वाशिंगटन समझौते के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संबंधितों के उपाध्यक्ष अध्यक्ष, सीटीईय महासचिव, एमयूडीईकेय उपाध्यक्ष, एएसीएसबीय अध्यक्ष, एसीबीएसपी और सीईओ, एएमबीए तथा अन्य प्रबुद्ध विद्वानों सहित इक्कीस प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपने कागजध्विचार प्रस्तुत किए।
- 6.3.4 इस समिति का उद्देश्य सभी के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक समान मंच तैयार करना था जो शिक्षा की गुणवत्ता के सतत सुधार में विश्वास रखते हैं। डब्ल्यूओएसए ने विश्व की प्रत्यायन एजेंसियों के लिए अत्यधिक गुणवत्ता मापदंडों के लिए परस्पर मेल, विवाद और पहुंच हेतु विश्व की प्रत्यायन एजेंसियों को मंच प्रदान किया तथा विशिष्ट करारों, समझौते इत्यादि के माध्यम से प्रत्याय के लिए योगदान दिया। इसने विभिन्न देशों के भागीदारों तथा एजेंसियों को इन देशों के शैक्षिक मापदंडों तथा गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का सम्मेलन की अनुमति प्रदान की।

7. कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 7.1 एनआईटीआईई, मुंबई में विशेषज्ञों के लिए 11-12 फरवरी, 2011 को "व्यावसायिक शिक्षा में गुणवत्ता की जागरूकता और संगतता" संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- 7.2 वाशिंगटन टीमों के अध्यक्ष/विशेषज्ञों के लिए निम्नलिखित तरह उन्मुखी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।



क्र.सं.	संस्थान / विश्वविद्यालय	तारीख	शामिल राज्य
1.	एचआईटी, कोलकाता	16-17/05/2011	बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड
2.	एनएमआईएमएस, मुंबई	20-21/05/2011	महाराष्ट्र
3.	एनएसआईटी, नई दिल्ली	20-21/05/2011	दिल्ली
4.	एनआईटीटीटीआर, भोपाल	27-28/05/2012	मध्य प्रदेश और राजस्थान
5.	एलडीआरपीआईटीआर, गांधीनगर	3-4/06/2011	गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र (आंशिक रूप से)
6.	आईआईएसएसटी, त्रिवेन्द्रपुरम	10-11/06/2011	केरल, तमिलनाडु (आंशिक रूप से)
7.	केआईआईटी, भुवनेश्वर	17-18/06/2011	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार
8.	आरवीसीई, बंगलौर	01-02/07/2011	कर्नाटक
9.	जया इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई	15-16/07/2011	तमिलनाडु
10.	जेएनटीयू, हैदराबाद	29-30/07/2011	आंध्र प्रदेश
11.	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	18-19/08/2011	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तरी-पूर्वी राज्य
12.	एनएसआईटी, नई दिल्ली	26/12/2011	सभी मूल्यांकक के लिए (डॉ. आर. उन्नीकृष्ण द्वारा)
13.	एनएसआईटी, नई दिल्ली	28/03/2012	सभी मूल्यांकक के लिए (प्रोफेसर वी. लक्ष्मी नरसिम्हन द्वारा)

- 7.3 संस्थाओं/भागीदारों के प्रमुखों के लिए निम्नलिखित जागरूकता कार्यशालाओं का संचालन किया गया :-

क्र.सं.	संस्थान / विश्वविद्यालय	तारीख	शामिल राज्य
1.	जया इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई	14/07/2011	तमिलनाडु
2.	एनएमआईएमएस, मुंबई	18/08/2011	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड और उत्तरी-पूर्वी राज्य

8. महापरिषद्/कार्यकारी समिति बैठकें

- 8.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान एनबीए की महापरिषद् (जीसी) की दौ बैठकें तथा कार्यकारी समिति (ईसी) की आठ बैठकों का नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई तारीखों पर आयोजन किया गया:

महापरिषद्

क्र.सं.	बैठक की तारीख
1.	26-03-2010
2.	18-01-2011

कार्यकारी समिति

क्र.सं.	बैठक की तारीख
1.	26-03-2010
2.	25-05-2010
3.	21-06-2010
4.	15-11-2010
5.	24-02-2011
6.	04-05-2011
7.	13-12-2011
8.	15-03-2012

8.2 महत्वपूर्ण निर्णय

- एनबीए द्वारा एनबीसीसी प्लेस में आवश्यक स्थान की 30 वर्ष के लिए लीज के लिए एआईसीटीई के साथ करार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा सदस्य सचिव, एनबीए को एनबीए की ओर से करार पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।
- एनबीए के भर्ती नियम तैयार होने तथा नियमित स्टाफ की नियुक्ति होने तक एआईसीटीई में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार वित्त समिति द्वारा अनुमोदित शर्तों के अधीन लघु अवधि पर चार परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा डीडीओ, डीईओ और आशुलिपिकों सहित अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था।
- एनबीए के ऑफिस प्रयोग के लिए वित्त समिति के निर्णय के अनुसार तैयार किए जाने वाले संभार-तंत्र के अधीन दो वाहनों की खरीद का सिद्धांततः अनुमोदन किया गया था।
- 30,000/- रुपए प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर कानूनी परामर्शदाता की नियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था।
- यूआरएल www.nbaind-org पर एनबीए की वेबसाइट आरंभ करने हेतु अनुमोदन किया गया था।
- एनबीए को विश्व भर में अन्य प्रत्यायन एजेंसीज निकायों के साथ इंटरएक्ट तथा वार्ता करने और उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सिद्धांततः प्राधिकृत किया गया था।
- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के प्रत्यायन के उद्देश्य से पूर्व एनबीए के दस्तावेजों को अपनाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया चूंकि वे वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं। तथापि, प्रबंधन, फार्मसी, वास्तुकला इत्यादि जैसे अन्य विषयों के लिए इन दस्तावेजों का पुनः अवलोकन करने तथा उसमें समुचित संशोधन करने का निर्णय लिया गया था।
- नए गठित एनबीए के कार्य करने के लिए नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक एआईसीटीई द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार प्रतिनियुक्ति/आउटसोर्सिंग आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने की अनुमति देने का संकल्प लिया गया था:-

(क)	निदेशक	1
(ख)	उप निदेशक	1
(ग)	सहायक निदेशक	4
(घ)	प्रशासनिक अधिकारी	2
(ङ)	डीईओ	5
(च)	लेखाकार	2
(छ)	समूह 'घ'	4

(ix) एनबीए के नियमधुप नियम तैयार होने तक एआईसीटीई द्वारा अपनाई जा रही प्रशासनिक, वित्त और सतर्कता नियमों को एनबीए द्वारा नियम बनाए जाने तक अपनाने का निर्णय लिया गया।

(x) निम्नलिखित को शामिल करने हेतु एक स्थानीय क्रय समिति का गठन किया गया:—

(क) सदस्य सचिव, एनबीए	अध्यक्ष
(ख) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
(ग) लेखा अधिकारी	सदस्य

(xi) एनबीए की प्रशासनिक अवसंरचना के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हेतु निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया:—

(क) डॉ. आर. आर. सोंडे	अध्यक्ष
(ख) डॉ. एल. वेणुगोपाल रेड्डी,	सदस्य
(ग) डॉ. डी. के. पालीवाल	सदस्य

(xii) निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक अपीलीय समिति की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया:—

- (क) तकनीकी विश्वविद्यालय का एक कुलपति (सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत)
- (ख) इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फॉर्मैसी, वास्तुकला तथा एप्लाइड कला, शिल्पकला तथा होटल प्रबंधन से चार प्रोफेसर।

9. वित्त

9.1 दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	बैंक का नाम	03.09.2010 के अनुसार बकाया	31.03.2011 के अनुसार बकाया	31.03.2012 के अनुसार बकाया
1.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5,67,39,013	8,00,166	3,67,79,777
2.	आईसीआईसीआई, बैंक	—	1,80,63,197	1,08,46,463
	कुल	5,67,39,013	1,88,63,363	4,76,26,240

6.00 करोड़ रुपए 10.03.2011 को आईसीआईसीआई बैंक को हस्तांतरित किए गए हैं।

9.2 दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध एफडीआर

क्र.सं.	बैंक का नाम	एफडीआर खाता संख्या	जमा की तारीख	अवधि ब्याज की दर प्रतिशत	राशि
1.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	65131322551	05.01.2012	एक वर्ष के लिए 9.85	2,00,00,000
	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	65131321852	05.01.2012	एक वर्ष के लिए 9.85	15,00,00,000
	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	65121322607	05.01.2012	एक वर्ष के लिए 9.85	1,00,00,000
	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	65131323815	05.01.2012	एक वर्ष के लिए 9.85	1,00,00,000
	कुल योग				19,00,00,000
2.	आईसीआईसीआई, बैंक लि.	054814003579	08.06.2011	380 दिनों के लिए 10.10	10,00,00,000
	आईसीआईसीआई, बैंक लि.	054814003863	11.08.2011	12 महीने के लिए 9.8	4,00,00,000
	कुल योग				14,00,00,000
	सकल योग				33,00,00,000

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
का वार्षिक विवरण और लेखन
2010-2011

लेखा विवरण संबंधी लेखापरीक्षक रिपोर्ट

के.के. गोयल एंड एशोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

204, ए.जे. चौम्बर, चौथी गली, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली-1100005

दूरभाष: कार्यालय: 28759712, 28754827, टेलीफैक्स: 28754827,

आवास: 25264233

ई-मेल: kkg200317@rediffmail.com

सेवा में,

कार्यकारी समिति,
राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड,
एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार,
नई दिल्ली-1100003

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए आपकी सोसाइटी की सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

हमने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए एनबीए के तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखे तथा लेखा विवरण की लेखापरीक्षा की है। ये वार्षिक लेखे और वित्तीय विवरण एनबीए प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन पर विचार व्यक्त करना है।

हमने हमारे लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह आवश्यक होता है कि हम इस बात पर समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की आयोजना और निष्पादन करते हैं कि ये वित्तीय विवरण गलत विवरणों से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटन के समर्थनकारी साक्ष्यों की जांच करना भी शामिल होता है।

हमारी लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण लेखन नीतियों, प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों और अनुमानों के मूल्यांकन तथा प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारे विचारों के लिए समुचित आधार पर प्रावधान है और हम निम्नानुसार सूचित करते हैं:-

- क) हमने सभी सूचना और व्याख्या प्राप्त कर ली है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी;
- ख) इस रिपोर्ट में तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखे/प्राप्ति और भुगतान लेखे एनबीए द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं;
- ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र और आय तथा व्यय लेखे, लेखा पुस्तकों के अनुसार हैं।
- घ) हमारे विचार से और हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा लेखा टिप्पणी के साथ पठित, वे लेखे हमारी टिप्पणियों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुबंध "क" में दी गई योग्यता पर सही और समुचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

कृते के के. गोयल एंड एशोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.01.2013

ह/
(कमल शंकर गुप्ता)
पार्टनर
सदस्य संख्या 11822

अनुबंध-“क”

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 17.01.2013 के साथ पठित

- वर्ष के दौरान एनबीए की कुल आय 23.23 करोड़ रुपए और व्यय 1.98 करोड़ रुपए हैं। एनबीए ने आय को आगे ले जाने के लिए आयकर विभाग तथा एआईसीटीई का आवश्यक अनुमोदन नहीं मांगा है।
- आयकर विभाग ने एनबीए को मूल्यांकन वर्ष 2012-13 के लिए धारा 12 (क) के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया है। मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के लिए ऐसे किसी पंजीकरण का अनुरोध तथा अनुमोदन नहीं किया गया है। उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए आयकर के भुगतान के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। एनबीए के खातों में 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अलाभकारी तथा चैरीटेबल इकाई के रूप में आयकर में छूट के लिए पात्र होने हेतु एनबीए को आयकर विभाग के दिनांक 25.11.2011 में निहित धारा 2(15), 11, 12क, 12कक और 13 में निरंतर शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है।
- एनबीए शैक्षिक संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करती हैं और 4.00 से 19.00 लाख रुपए, प्रति विशेषज्ञ 60,000/- रुपए का नियत यात्रा भत्ता और प्रति विशेषज्ञ 15,000/- रुपए का नियत मानदेय के शुल्क के रूप में प्रभार वसूल करती है। ये प्रभार वास्तविक से काफी अधिक हैं।
उपर्युक्त प्रभारों पर सेवा कर सामान्य रूप से लागू है। एनबीए के खातों में सेवा कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह मामला जुलाई, 2012 से स्पष्ट हो गया है चूंकि एनबीए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की छूट प्राप्ति सूची में शामिल नहीं किया गया है।
- एनबीए ने 6.00 करोड़ रुपए की राशि के बेशी निधियों को सावधि जमा के रूप में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पास रखा है। जबकि संगम ज्ञापन नियम 6एन और 50 के अनुसार एनबीए अपनी निधियां केवल राष्ट्रीयकृत बैंक में रख सकता है। एनबीए ने संगम ज्ञापन के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस मामले में महापरिषद् का आवश्यक अनुमोदन अपेक्षित है।
- एनबीए ने दिनांक 10.03.2011 के अपने पत्र संख्या 08/01/2010-एनबीए(वित्त) द्वारा एआईसीटीई को 2007-2010 के वर्षों के दौरान प्राप्त प्रत्यायन शुल्क के 5.05 रुपए वापस करने का अनुरोध किया है, जबकि प्रत्यायन लंबित था। एआईसीटीई द्वारा यह राशि वापस नहीं की गई है। एनबीए को इस राशि की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
- कोई अचल संपत्ति रजिस्टर नहीं रखा जा रहा है। सभी परिसंपत्तियों की एनबीए के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आवधिक जांच के साथ अंकन किया जाना चाहिए। ये आंतरिक नियंत्रण यथाशीघ्र संभव रूप से स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- एनबीए में कार्यरत परामर्शदाताओं के मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि वे अंशकालीन अथवा पूर्ण कालीन कर्मचारी हैं। इसलिए, प्रत्येक परामर्शदाता से एक शपथ-पत्र लेना एनबीए के हित में होगा कि एनबीए में सेवा के दौरान वे किसी भी क्षमता में कहीं और कार्य नहीं करेंगे।

कृते के के. गोयल एंड एशोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.01.2013

ह/
(कमल शंकर गुप्ता)
पार्टनर
सदस्य संख्या 11822

अनुसूची-24

महत्वपूर्ण लेखानीतियां और वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी:

1. एनबीए के संगम ज्ञापन पर 24.11.2009 को ग्यारह सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा 07.01.2010 को पंजीकरण संख्या एस/68026/2010 प्रदान की गई थी। चूंकि लेखा वर्ष 2009-10 के दौरान कोई लेखा लेनदेन नहीं किया गया था, इसलिए लेखा वर्ष 2009-10 के लिए कोई वार्षिक खाते तैयार नहीं किए गए थे।
2. एनबीए ने अर्जन आधार पर लेखन की दोहरी प्रवृष्टि प्रणाली अपनाई है। केवल सहायता अनुदान के मामले में रोकड़ आधार पर इसे खातों में लिया जाता है।
3. एनबीए ने 2010-11 के दौरान एआईसीटीई से 21 करोड़ रुपये प्राप्त किए। इस राशि में से 6 करोड़ की राशि एनबीए द्वारा प्राप्त कोरपस/पूंजी के रूप में ली गई है और 15 करोड़ रुपये की बाकी राशि विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं से वर्ष 2007-10 के दौरान एआईसीटीई द्वारा प्राप्त प्रत्यायन शुल्क के बकाये से आय के रूप में लिया गया है परंतु यह कार्य एनबीए द्वारा किया जाना है।
4. सभी अचल संपत्तियां छोड़े गए मूल्य पर लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई हैं। अवमूल्यन आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों और पद्धति से प्रभारित किया गया है।
5. अचल संपत्तियों से बिक्री आय, यदि कोई हो, को "विविध प्राप्ति" शीर्ष के तहत आय के रूप में लिया गया है।
6. जहां भी संभव तथा लागू हो, एनबीए के कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार के नियम लागू किए जाते हैं।
7. अधिकांश एनबीए कर्मचारी अस्थायी तथा अनुबंध आधार पर हैं। उनका पारिश्रमिक निश्चित हैं और कार्यकारी समिति द्वारा समेकित आधार पर अनुमोदित है। इसके देखते हुए, एनबीए सेवानिवृत्ति लाभ नहीं प्रदान करता है।
8. यह एनबीए के लिए संचालन का प्रथम वर्ष होने के कारण व्यय की तुलना में अत्यधिक बेशी आय है। परंतु, जब प्रत्यायन की कार्यवाही में तेजी आएगी तो बेशी राशि न्यूनतम हो जाएगी।
9. संडरी क्रेडिटर, ऋणदाता बकाया तथा अग्रिम खाते पार्टियों द्वारा पुष्टि के अधीन है।

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)

विवरण	अनुसूची	31-03-2011	31-03-2010
कोरपस पूंजीगत निधि और देनदारियां			
कोरपस/पूंजीगत निधि	1	6,00,00,000.00	—
आरक्षित तथा वेशी	2	21,24,17,104.89	—
चिह्नित/वृत्तिदान निधि	3	0.00	—
आरक्षित ऋण और उधारी	4	0.00	—
अनारक्षित ऋण और उधारी	5	0.00	—
आगे ले जाई गई क्रेडिट देनदारियां	6	0.00	—
चालू देनदारियां और प्रावधान	7	46,71,971.00	—
कुल		27,70,89,075.89	—
परिसंपत्तियां			
अचल संपत्तियां	8	31,96,188.25	—
निवेश-चिह्नित/वृत्तिदान निधियों से	9	0.00	—
निवेश- अन्य	10	25,00,00,000.00	—
चालू-परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	11	2,38,92,887.64	—
विविध व्यय (छोड़े न गए अथवा समायोजन की सीमा तक)			
कुल		27,70,89,075.89	—
महत्वपूर्ण लेखन नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणी	25		

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)

विवरण	अनुसूची	31-03-2011	31-03-2010
क. आय			
वेतन तथा सेवाओं से आय	12	—	—
अनुदान/इमदाद	13	0.00	—
फीस/अंशदान	14	22,59,25,790.00	—
निवेश से आय	15	44,12,610.00	—
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	0.00	—
अर्जित ब्याज	17	16,79,210.00	—
अन्य आय	18	13,840.00	—
प्रकाशन तथा उपभोज्य के भंडारण में वृद्धि/कमी	19	2,30,594.64	—
कुल (क)		23,22,62,044.64	—
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	20	49,09,729.00	—
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	51,04,664.00	—
अनुदान, इमदाद इत्यादि पर व्यय	22	0.00	—
यात्रा व्यय	23	92,89,637.00	—
अन्य व्यय		0.00	—
अवमूल्यन		0.00	—
कुल (ख)		1,98,44,939.75	—
व्यय से अधिक आय का बकाया (क-ख)		21,24,17,104.89	—
विशेष आरक्षित को हस्तांतरित		0.00	—
सामान्य आरक्षित को/से हस्तांतरण		0.00	—
कोरपस/पूँजीगत निवेश में ले जाया गया वैशी बकाया/(घाटा)		21,24,17,104.89	—
महत्वपूर्ण लेखन नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणी	25		

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)
तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2011		31-03-2010	
अनुसूची: 1: कोरपस/पूँजीगत निधि			6,00,00,000.00	
वर्ष के आरंभ में शेष	—			
जमा: एआईसीटीई से कोरपस के रूप में प्राप्त राशि	6,00,00,000.00		—	
	—	6,00,00,000.00	—	
वर्ष के अंत में शेष		6,00,00,000.00		
अनुसूची: 2: आरक्षित और बेशी				
वर्ष के आरंभ में शेष	21,24,17,104.89		—	
जमा: वर्ष के दौरान जमा			—	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		21,24,17,104.89	—	
वर्ष के अंत में शेष		21,24,17,104.89	—	
अनुसूची: 3: चिन्हित/वृत्तिदान निधियां				
वर्ष के आरंभ में शेष	—		—	
जमा: वर्ष के दौरान जमा	—		—	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	
वर्ष के अंत में शेष	—	—	—	
अनुसूची: 4: आरक्षित ऋण और उधारी				
वर्ष के आरंभ में शेष				
जमा: वर्ष के दौरान जमा				
घटा: वर्ष के दौरान कटौती				
वर्ष के अंत में शेष	—	—	—	
अनुसूची: 5: आरक्षित ऋण और उधारी				
वर्ष के आरंभ में शेष				
जमा: वर्ष के दौरान जमा				
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	
वर्ष के अंत में शेष	—	—	—	

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)
तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2011		31-03-2010	
अनुसूची: 6: आगे ले जाई गई क्रेडिट देनदारियां				
वर्ष के आरंभ में शेष				
जमा: वर्ष के दौरान जमा				
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	
वर्ष के अंत में शेष	—	—	—	
अनुसूची: 7: चालू देनदारियां और प्रावधान				
जमा अग्रिम राशि	15,00,000,00			
पार्टियों द्वारा जमा प्रतिभूमि	—			
शुल्क और कल	1,33,052,00			
संडरी क्रेडिटर	30,38,919,00	46,71,971,00	—	
वर्ष के अंत में शेष	—	46,71,971,00	—	
अनुसूची: 8: अंचल संपत्तियां				
वर्ष के आरंभ में शेष				
जमा: वर्ष के दौरान जमा	37,37,098,00			
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	5,40,909,75	31,96,188,25		
वर्ष के अंत में शेष		31,96,188,25		
अनुसूची: 9: विन्हित/वृत्तिदान निधियों से निवेश				
सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—	—	—
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—	—	—
शेयर	—	—	—	—
डिबेंचर तथा बांड	—	—	—	—
इमदाद तथा संयुक्त उद्यम	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—
वर्ष के अंत में शेष	—	—	—	—
अनुसूची: 10: निवेश-अन्य				
सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—	—	—
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—	—	—
शेयर	—	—	—	—
डिबेंचर तथा बांड	—	—	—	—
इमदाद तथा संयुक्त उद्यम	—	—	—	—
अन्य-एसबीपी में सावधि जमा	19,00,00,000,00	—	—	—
अन्य-आईसीआईसीआई में सावधि जमा	6,00,00,000,00	25,00,00,000,00	—	—
वर्ष के अंत में शेष		25,00,00,000,00		—

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)
तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2011		31-03-2010	
अनुसूची: 11: चालू संपत्तिया, ऋण और अग्रिम				
क. चालू संपत्तियां				
1. पूंजी				
स्टोर (उपभोक्ता)	2,30,594.64	—	—	—
स्टोर (प्रकाशन)	—	2,30,594.64	—	—
2. संडरी ऋणदाता				
छ: माह की अवधि से कम के लिए बकाया ऋण	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—
3. जमा तथा अग्रिम				
मुख्यालय	—	—	—	—
क्षेत्रीय कार्यालय	—	—	—	—
अन्य जमा	—	—	—	—
4. रोकड़ शेष				
हाथ रोकड़	22,426.00	22,426.00	—	—
5. बैंक बकाया				
(क) अनुसूचित बैंकों में				
चालू खाते पर	—	—	—	—
जमा खाते पर (माजेन मनी सहित)	—	—	—	—
बचत खाता एसबीपी बैंक पर	8,00,116.00	—	—	—
बचत खाता आईसीआईसीआई बैंक पर	1,80,63,197.00	—	—	—
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में				
चालू खाते पर	—	—	—	—
जमा खाते पर (माजेन मनी सहित)	—	—	—	—
बचत खाते पर	—	1,88,63,313.00	—	—
कुल (क)	—	1,91,16,333.64	—	—
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1. अग्रिम तथा अन्य वसूली योग्य राशि				
अग्रिम	3,43,962.00	—	—	—
रोकड़ तथा इस प्रकार से वसूली योग्य प्राप्त की जा सकने वाली अन्य राशि	23,241.00	3,67,203.00	—	—
2. अर्जित आय				
चिन्हित/वृत्त निधियों से निवेश पर	—	—	—	—
निवेश पर-अन्य	44,09,351.00	—	—	—
अन्य	—	44,09,351.00	—	—
कुल (ख)		47,76,554.00		
वर्ष के अंत में बकाया कुल (क-ख)		2,38,92,887.64		—

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित) तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2011		31-03-2010	
अनुसूची: 12: बिक्री तथा सेवाओं से आय				
कुल	—	—	—	—
अनुसूची: 13: अनुदान/इमदाद				
केंद्र सरकार	—	—	—	—
राज्य सरकार	—	—	—	—
सरकारी एजेंसियों	—	—	—	—
मूल निकास (एआईसीटीई)	—	—	—	—
संस्थाएं/कल्याण निकाय	—	—	—	—
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—
अनुसूची: 14: शुल्क/अंशदान				
एआईसीटीई से प्राप्त प्रत्यायन शुल्क का बकाया	15,00,00,000.00	—	—	—
प्रत्यायन शुल्क	7,59,25,700.00	—	—	—
आरटीआई फीस	90.00	—	—	—
विलंब शुल्क	—	—	—	—
कार्यवाही शुल्क	—	—	—	—
समकक्ष शुल्क	—	—	—	—
आवेदन शुल्क	—	—	—	—
कार्यशाला/सेमिनार फीस	—	22,59,25,790.00	—	—
कुल		22,59,25,790.00		
अनुसूची: 15: निवेश से आय				
चिन्हित/वृत्तिदान निधियों से निवेश पर आय	—	—	—	—
निवेश पर आय-अन्य	44,12,610.00	44,12,610.00	—	—
कुल		44,12,610.00		—
अनुसूची: 16: रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय				
रॉयल्टी/प्रकाशन इत्यादि से आय	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)
तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2011		31-03-2010	
अनुसूची: 17: अर्जित ब्याज				
बैंकों के पास सावधि जमा पर	16,79,210.00	—	—	—
बचत बैंक खातों पर	—	16,79,210.00	—	—
अन्य	—	—	—	—
कुल	—	16,79,210.00	—	—
अनुसूची: 18: अन्य आय				
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ से :				
स्वामित्व वाली संपत्तियां	—	—	—	—
अनुदान से प्राप्त अथवा निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां	—	—	—	—
2. विविध सेवाओं के लिए शुल्क				
3. विविध आय	13,840.00	13,840.00	—	—
कुल		13,840.00	—	—
अनुसूची: 19: प्रकाशन तथा उपभोज्यों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)				
प्रकाशन और उपभोज्यों के स्टॉक खोलना				
घटा: प्रकाशन तथा उपभोज्यों के स्टॉक बंद करना	2,30,594.64	2,30,594.64	—	—
कुल		2,30,594.64	—	—
अनुसूची: 20: स्थापना व्यय				
वेतन एवं पारिश्रमिक	48,67,112.00	—	—	—
भत्ते, बोनस, मानदेय/एलएस तथा पीसी	—	—	—	—
भविष्य निधि में अंशदान	—	—	—	—
अन्य निधियों में अंशदान/ईपीएफ अंशदान	—	—	—	—
स्टाफ कल्याण व्यय	42,617.00	—	—	—
कर्मचारी सेवानिवृत्ति तथा टर्मिनल लाभ पर व्यय	—	—	—	—
चिकित्सा क्षतिपूर्ति	—	—	—	—
एलटीसी	—	—	—	—
प्ले पर आवास से संबंधित किराया	—	—	—	—
विविध स्थापना व्यय	—	49,09,729.00	—	—
कुल		49,09,729.00	—	—

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित) तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2011		31-03-2010	
अनुसूची: 21: अन्य प्रशासनिक व्यय				
विज्ञापन व्यय	29,02,810.00	—	—	—
लेखापरीक्षा शुल्क तथा लेखन प्रभार	9,927.00	—	—	—
टेलीफोन/मोबाइल/ इंटरनेट प्रभाग	98,079.00	—	—	—
मेजबानी व्यय	2,54,197.00	—	—	—
विद्युत तथा जल प्रभाग	—	—	—	—
पेट्रोल तथा तेल प्रभाग	69,804.00	—	—	—
टैक्सी किराये पर लेना	2,54,843.00	—	—	—
यात्रा भाड़ा तथा माल भाड़ा	—	—	—	—
लाइसेंस फीस (लीज आवास)	—	—	—	—
विधायी प्रभार	—	—	—	—
मरम्मत और अनुरक्षण				
फर्नीचर की मरम्मत और अनुरक्षण	84,620.00	—	—	—
भवन की मरम्मत और अनुरक्षण	—	—	—	—
उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण	—	—	—	—
विद्युत सामान/जेनसेट की मरम्मत और अनुरक्षण	3,533.00	—	—	—
वाहनों की मरम्मत और अनुरक्षण	55,755.00	—	—	—
वार्षिक अनुरक्षण (एएमसी)				
वार्षिक अनुरक्षण कंप्यूटर नेटवर्क	—	—	—	—
विविध कार्यालय व्यय				
पोस्टेज	1,95,521.00	—	—	—
कंप्यूटर उपभोज्य	1,30,511.50	—	—	—
मुद्रण तथा स्टेशनरी	4,99,405.00	—	—	—
ओटीए तथा यात्रा प्रभार	9,710.00	—	—	—
बैंक प्रभार	1,130.00	—	—	—
सदस्या, सेमिनार फीस, बैठक तथा अंशदान फीस	4,58,393.00	—	—	—
समाचार-पत्र, पुस्तक तथा पिरियॉडिकल	808.00	—	—	—
बागीवानी व्यय	—	—	—	—
बीमा प्रभार	390.00	—	—	—
कार्यालय भवन के लिए किराया	12.00	—	—	—
सैनीटेशन व्यय	—	—	—	—
रेप्रोग्राफिक व्यय	—	—	—	—
अन्य कार्यालय व्यय	75,215.50	51,04,664.00	—	—
कुल	—	51,04,664.00	—	—
अनुसूची: 22: अनुदान, इमदाद इत्यादि पर व्यय				
एआईसीटीई की योजना पर	—	—	—	—
एनबीए की योजना पर	—	—	—	—
अन्य योजनाओं पर	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—
अनुसूची: 23: यात्रा व्यय				
टीए/डीए/ गैर-सरकारी	87,75,499.00	—	—	—
टीए-डीए सरकारी	5,14,138.00	—	—	—
टीए आईडीए व्यय हस्तांतरण	—	92,89,637.00	—	—
कुल	—	92,89,637.00	—	—

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)
अनुसूची -11 में उल्लिखित अनुबंध

विवरण	राशि / रुपये
अनुबंध: 1: अग्रिम	
1. पार्टी को अग्रिम	
मैसर्स ऐप्पल ट्री होटल	26, 955.00
मैसर्स ऑटोमोटिव्स	25,000.00
मैसर्स एनबीसीसी, नई दिल्ली	7,200.00
मैसर्स एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	2,45,897.00
मैसर्स राणा मोटर्स प्रा. लि.	110,00
2. कर्मचारियों को अग्रिम	
श्री जितेंद्र कुमार	15,800.00
श्री एम.सी. त्यागी	3,000.00
श्री आर.के. कन्जु	10,000.00
श्री सत्यवान सिंह	2,000.00
3. इम्प्रेस्ट अग्रिम	
श्री जितेन्द्र कुमार	2,000.00
श्री एम.सी. त्यागी	5,000.00
श्री आर.के. गन्जु	1,000.00
योग	3,43,962.00
अनुबंध: 2: नगद अथवा किसी प्रकार से प्राप्त किए जाने वाले मूल्य की वसूली योग्य अन्य राशि	
पूर्व प्रदत्त व्यय	19,982.00
टीडीएस (वित्तीय वर्ष 2010-11)	3,259.00
कुल	23,241.00

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित) अनुसूची - 7 में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध: 3: संडरी क्रेडिटर

विवरण	राशि / रुपये
देय व्यय	62,728.00
एआईसीटीई	12.00
मैसर्स अभिषी ऑफिस ऑटोमेशन प्रा.लि.	1,84,798.00
मैसर्स एंजेल इंटरप्राइजेस	78,256.00
मैसर्स अंकुर हॉस्पिटालिटी सर्विसेज, नागपुर	1,690.00
मैसर्स अशोक ट्रेवेल्स एंड टूर्स, नई दिल्ली	8,168.00
मैसर्स ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लि.	10,11,361.00
मैसर्स एक्सिस ऑटोमेशन	2,783.00
मैसर्स बेदी एंड बेदी एशोसिएट्स	3,33,573.00
मैसर्स भारत कार्स	21,802.00
मैसर्स भारत कुमार	21,945.00
मैसर्स डेक्कन प्लाजा होटल्स	85,740.00
मैसर्स एचएमएटीसी	58,487.00
मैसर्स होटल मंदाकिनी एम्बीएस	29,452.00
मैसर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	13,023.00
मैसर्स इनफिनिटी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रा.लि.	29,468.00
मैसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट	4,112.00
मैसर्स के.के.गोयर एंड एशोसिएट्स	9,927.00
मैसर्स कमल इंटरप्राइजेस	1,15,133.00
मैसर्स कुरिनजी मुरुगन, मदुरई	36,983.00
मैसर्स मीनाक्षी सनसाइन होटल, मदुरई	73,252.00
मैसर्स नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी	95,776.00
मैसर्स एनसीसीएफआईएल, नई दिल्ली	1,27,254.00
मैसर्स एनआईटीआईई, मुंबई	3,26,131.00
मैसर्स एस.जे.ट्रेवेल्स	36,211.00
मैसर्स एस.के. कैब्स बंगलौर	33,546.00
मैसर्स सलीम कैब्स, कोयम्बटूर	53,205.00
मैसर्स शिवा कैब्स, चेन्नई	49,910.00
मैसर्स श्री आरवी होटल्स, कोयम्बटूर	1,19,193.00
मैसर्स वीएनआईटी, नागपुर	15,000.00
कुल	30,38,91.00

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनातर निधि समीकित अनुसूची में उल्लिखित अनुबंध आयकर के अधिनियम अनुसार अवमूल्यन

अनुबंध: 4: अचल संपत्तियां अनुसूची

विवरण	1.4.10 के अनुसार डब्ल्यूडीवी	जमा		हटाना	कुल	अवमूल्यन प्रतिशत	चालू वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2011 के अनुसार डब्ल्यूडीवी
		180 दिनों से अधिक	180 दिनों से कम					
किताबें-		-	-	-	-	100	-	-
कंप्यूटर	-	-	-	-	-	60	-	-
फर्नीचर और फिटिंग	-	-	498,718.00	-	498,718.00	10	24,935.90	473,782.10
भूमि और भवन	-	-	-	-	-	10	-	-
लोगो स्टेशनरी	-	330,900.00	-	-	330,900.00	25	82,725.00	248,175.00
कार्यालय उपकरा	-	617,565.00	692,207.00	-	1,309,772.00	25	240,917.13	1,068,854.87
पेटेंट तथा ट्रेडमार्क-	-	-	-	-	-	25	-	-
प्लांट तथा मशीनरी	-	-	-	-	-	25	-	-
सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	60	-	-
वाहन, स्टाफ कार	-	966,715.00	630,993.00	-	1,597,708.00	15	192,331.72	1,405,376.28
कुल		1,915,180.00	1,821,918.00	-	3,737,098.00	-	540,909.75	3,196,188.25

ह/- (गिरीश भसीन) कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/- (डॉ.डी के पालीवाल) सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनातर निधि समीकित अनुसूची में उल्लिखित अनुबंध आयकर के अधिनियम अनुसार अवमूल्यन

अनुबंध: 4 (अ)

विवरण	1.4.11 के अनुसार डब्ल्यूडीवी	जमा		हटाना	कुल	अवमूल्यन प्रतिशत	चालू वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2011 के अनुसार डब्ल्यूडीवी
		180 दिनों से अधिक	180 दिनों से कम					
कैश चैरट	—	14,550.00	—	—	14,550.00	25	3,637.50	10,912.50
फैक्स मशीन	—	13,965.00	13,965.00	—	27,930.00	25	5,236.87	22,693.13
मोबाइल फोन	—	7,850.00	—	—	7,850.00	25	1,962.50	5,887.50
अन्य कार्यालय उपकरण	—	—	59,309.00	—	59,309.00	25	7,413.63	51,895.37
फोटोकॉपी मशीन	—	343,270.00	194,040.00	—	537,310.00	25	110,072.50	427,237.50
प्रिंटर	—	—	53,054.00	—	53,054.00	25	6,631.75	46,422.25
प्रोजेक्टर	—	—	184,798.00	—	184,798.00	25	23,099.75	161,698.25
रेफ्रिजरेटर	—	—	15,000.00	—	15,000.00	25	1,875.00	13,125.00
स्केनर	—	—	46,292.00	—	46,292.00	25	5,786.50	40,505.50
टेलीफोन ,क्सचेंज सिस्टम	—	237,930.00	11,729.00	—	249,659.00	25	60,948.63	188,710.37
टेंडर बॉक्स	—	—	68,000.00	—	68,000.00	25	8,500.00	59,500.00
वाल फैन	—	—	2,475.00	—	2,475.00	25	309.37	2,165.63
वाटर डिस्पेंसर	—	—	21,945.00	—	21,945.00	25	2,743.13	19,201.87
फैक्स मशीन	—	—	21,600.00	—	21,600.00	25	2,700.00	18,900.00
कुल	—	617,565.00	692,207.00	—	1,309,772.00	—	240,917.13	1,068,854.87

ह/- (गिरीश भसीन) कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/- (डॉ.डी के पालीवाल) सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजना एवं योजनेतर निधि (समेकित)
उपभोज्य स्टॉक के ब्यौरे अनुबंध-5 (अनुसूची-11)

क्र. सं.	मद का नाम	31.8.2011 के अनुसार वास्तविक बकाया	प्रति मात्रा दर	कुल राशि (रुपये)	क्र. सं.	मद का नाम	31.8.2011 के अनुसार वास्तविक बकाया	प्रति मात्रा दर	कुल राशि (रुपये)
1	आलपिन	1	21.37	21.37	39	हाइलाइटर	1	90.00	90.00
2	बाउल	24	99.00	2,376.00	40	हिट	1	126.20	126.20
3	बॉक्स फाइल	14	88.00	1,232.00	41	लिक्विड शॉप घटक	3	180.00	540.00
4	झाड़ू	1	15.00	15.00	42	लिक्विड क्लीनर (500 एम)	2	52.00	104.00
5	गोंद लगाने का ब्रुश	2	17.00	34.00	43	मार्कन कपड़ा (मीटर में)	50	28.00	1,400.00
6	कैलकुलेटर 12 डिग	1	395.00	395.00	44	नार झाड़ू 400 ग्राम	1	15.00	15.00
7	सीडीआर	1	240.00	240.00	45	सूई	9	2.00	18.00
8	रेली टेप 2x5 मीटर	9	45.00	405.00	46	नोट शीट	103	35.00	3,605.00
9	रेलो टेप 3x50 मीटर (भूरा)	47	65.00	3,055.00	47	ओडोनिल 75 ग्राम	8	28.00	224.00
10	वेलीन स्प्रे	10	47.50	475.00	48	पेपर कटर	16	20.75	332.00
11	कप प्लेट	28	44.73	1,252.44	49	पेपर वेट	15	34.87	523.05
12	डेयरी उत्पाद	8	141.76	1,134.08	50	पेन (एड जेल)	2	29.61	59.22
13	डिटोल एलएंडडी वॉप	1	31.00	31.00	51	पेन (हाइलाइटर)	9	9.45	85.05
14	डस्टबिन (वेस्ट पेपर टोकरी)	4	55.00	220.00	52	पेन (जेटर)	18	32.55	585.90
15	डस्टर सफेद	26	8.00	208.00	53	पेन (रेनलन्ड्स)	125	5.70	712.50
16	डस्टर पीला	23	21.65	497.95	54	पेन ड्राइव	4	787.60	3,150.40
17	लिफाफे एसई-5 सफेद	250	1.66	415.00	55	पेन स्टैंड	4	317.25	1,269.00
18	लिफाफे एसई-6	1403	0.76	1,066.28	56	पेंसिल	70	2.94	205.80
19	लिफाफे एसई-8	155	4.20	651.00	57	पेंसिल सैल	6	8.15	48.90
20	लिफाफे विंडो 11x5	1500	2.70	4,050.00	58	चपरासी बही	2	66.00	132.00
21	रबड़	57	0.85	48.45	59	स्थायी मार्कर	29	19.16	440.68
22	फैक्स टोनर	2	1,712.50	3,425.00	60	फूल झाड़ू 400 ग्राम	3	41.00	123.00
23	फेना वाश पीडी 950 जी	1	28.00	28.00	61	फोटोकॉपी पेपर (ए4)	36	168.00	6,048.00
24	फाइल बोर्ड	110	113.00	12,430.00	62	फोटोकॉपी पेपर लीगल	3	182.00	546.00
25	फाइल कवर (एनजी 888)	3127	9.90	30,957.00	63	फोटोकॉपी टोनर	5	7,600.00	38,000.00
26	फाइल कवर	1990	9.90	19,701.00	64	पायलट पेन	112	56.00	6,272.00
27	फाइल रजिस्टर	11	126.00	1,386.00	65	प्लास्टिक्स फोल्डर	152	12.00	1,824.00
28	फाइल ट्रे	6	140.62	843.72	66	प्लेट	12	75.00	900.00
29	फ्लैग आईटी पैड	27	42.00	1,134.00	67	प्लेट पूरी	24	150.00	3,600.00
30	फ्लैग आईटी पैड (2x3)	37	28.00	1,036.00	68	प्लेट आधी	24	183.33	4,399.92
31	फ्लैग डस्ट (24x30)	22	12.00	264.00	69	प्रिंटर कॉर्टेज एच.पी.कलर	1	12,434.00	12,000.00
32	फ्ल्यूड	7	12.50	87.50	70	प्रिंटर टोनर पी 1007	7	3,000.00	21,000.00
33	जेम्स विल्प 35 एमएम	16	18.00	288.00	71	घंघू होल	9	77.62	698.58
34	ग्लास बराली	33	41.66	1,374.78	72	रजिस्टर डायरी	1	70.00	70.00
35	ग्लास जूस	6	95.00	570.00	73	रजिस्टर (फाइल) 6फलेट 5फलेट	39	73.50	2,866.50
36	ग्लास टम्बलर	10.91	10.91	119.03	74	काजिरी रजिस्टर	18	33.00	594.00
37	गम बॉटल	24	34.65	831.60	75	शौचालय रिंग	2	100.00	200.00
38	हॉपिक क्लीनर (500 एमएल)	2	52.00	104.00	76	रुम फ्रेशनर	1	93.00	93.00

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजना एवं योजनेतर निधि (समेकित)
उपभोज्य स्टॉक के ब्यौरे अनुबंध-5 (अनुसूची-11)

क्र. सं.	मद का नाम	31.8.2011 के अनुसार वास्तविक बकाया	प्रति मात्रा दर	कुल राशि (रुपये)	क्र. सं.	मद का नाम	31.8.2011 के अनुसार वास्तविक बकाया	प्रति मात्रा दर	कुल राशि (रुपये)
77	स्कैल	33	10.50	346.50	92	स्टेपलर एचडी-45	19	61.50	1,168.50
78	कैंची (मध्यम आकार)	3	37.00	111.00	93	स्टेपलर 10 डी	33	5.10	168.30
79	अनुभाग डायरी रजिस्टर	25	156.45	3,911.25	94	स्टेपलर पिन 24x6	1	17.00	17.00
80	सर्विस ट्रे	4	219.37	877.48	95	स्टीकर	6	275.00	1,650.00
81	शार्ट हैंड नोट बुक	8	11.85	94.80	96	सुतली प्लास्टिक	5	101.25	506.25
82	सिंगल पंच	14	46.12	645.68	97	टैग (हरा)	9	87.75	789.75
83	स्कैच पेन	5	56.40	282.00	98	टैग (सफेद)	49	78.00	3,822.00
84	रिलेप पैड	125	8.00	1,000.00	99	टैप भूरा	47	65.00	3,055.00
85	सबुन	1	13.00	13.00	100	टिसू पैपर	1	39.90	39.90
86	स्पॉज	5	13.50	67.50	101	तौलिया	3	226.00	678.00
87	चम्मच (बड़ी)	24	16.66	67.50	102	ट्रांसपेरेंसी शीट	172	5.24	901.28
88	चम्मच (छोटा)	12	10.83	129.96	103	ट्रे (सर्विस ट्रे)	1	219.37	219.37
89	स्टैम्प लाइन्स	24	84.16	2,019.84	104	ट्रे (फाइल ट्रे)	2	140.62	281.24
90	स्टैम्प पैड	5	27.00	135.00	105	वइपर	1	50.00	50.00
91	स्टेपलर 10 डी	36	41.00	1,476.00		कुल			2,30,594.64

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजना एवं योजनेतर निधि (समेकित)
31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए प्राप्ति तथा भुगतान लेखे

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2010-11	2009-10	भुगतान	2010-11	2009-10
आरंभिक शेष			स्थापना व्यय	41,96,192.00	—
हाथ रोकड़	—	—	अन्य प्रशासनिक व्यय	7,88,792.00	—
बैंक नगदी	—	—			—
बैंक में सावधि जमा	—	—	अनुदान और इमदार व्यय	—	—
बिक्री तथा सेवा से आय	—	—	यात्रा व्यय	75,91,944.00	—
प्राप्त सहायता	21,00,00,000.00	—	टंचल संपत्तियों की खरीद	13,51,456.00	—
फीस और अंशदान	7,59,25,700.00	—	अन्य भुगतान	67,74,446.00	—
प्राप्त तथा अर्जित व्याज	16,79,210.00	—			
जमा पेशगी राशि	15,00,000.00	—	अंतिम बकाया		—
अन्य प्राप्ति	4,83,659.00	—	हाथ रोकड़	22,426.00	—
			बैंक नगदी	1,88,63,313.00	—
			बैंक में सावधि जमा	25,00,00,000.00	—
कुल	28,95,88,569.00	—	कुल	28,95,88,569.00	—

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
का वार्षिक विवरण और लेखन
2011-2012

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)

विवरण	अनुसूची	31-03-2012	31-03-2011
कोरपस पूंजीगत निधि और देनदारियां			
कोरपस/पूंजीगत निधि	1	6,00,00,000.00	6,00,00,000.00
आरक्षित तथा वेशी	2	427,847,450.62	212,417,104.89
चिह्नित/वृत्तिदान निधि	3	—	—
आरक्षित ऋण और उधारी	4	—	—
अनारक्षित ऋण और उधारी	5	—	—
आगे ले जाई गई क्रेडिट देनदारियां	6	—	—
चालू देनदारियां और प्रावधान	7	26,453,951.36	4,671,971.00
कुल		509,301,401.98	277,089,075.89
परिसंपत्तियां			
अचल संपत्तियां	8	9,242,451.58	3,196,188.25
निवेश-चिह्नित/वृत्तिदान निधियों से	9	—	—
निवेश-अन्य	10	390,000,000.00	250,000,000.00
चालू-परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	11	110,058,950.40	23,892,887.64
विविध व्यय (छोड़े न गए अथवा समायोजन की सीमा तक)			
कुल		509,301,401.98	277,089,075.89
महत्वपूर्ण लेखन नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणी	25		

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)

विवरण	अनुसूची	31-03-2012	31-03-2011
क. आय			
वेतन तथा सेवाओं से आय	12	—	—
अनुदान / इमदाद	13	—	—
फीस / अंशदान	14	297,710,616.73	225,925,790.00
निवेश से आय	15	—	4,412,610.00
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	—	—
अर्जित ब्याज	17	40,373,440.00	1,679,210.00
अन्य आय	18	45,077.00	13,840.00
प्रकाशन तथा उपभोज्य के भंडारण में वृद्धि / कमी	19	360,176.60	—
कुल (क)		338,489,310.33	232,262,044.64
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	20	11,479,915.00	4,909,729.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	24,994,257.03	5,104,664.00
अनुदान, इमदाद इत्यादि पर व्यय	22	—	—
यात्रा व्यय	23	87,295,535.93	9,289,637.00
अन्य व्यय		—	—
अवमूल्यन		4,289,256.64	540,909.75
कुल (ख)		128,058,964.60	19,844,939.75
व्यय से अधिक आय का बकाया (क-ख)		210,430,345.73	212,417,104.89
विशेष आरक्षित को हस्तांतरित सामान्य आरक्षित को / से हस्तांतरण		— —	— —
कोरपस / पूंजीगत निवेश में ले जाया गया वैशी बकाया / (घाटा)		210,430,345.73	212,417,104.89
महत्वपूर्ण लेखन नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणी	25		

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित) तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2012		31-03-2011	
अनुसूची: 1 : कोरपस/पूँजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष	60,000,000.00		—	
जमा: एआईसीटीई से कोरपस के रूप में प्राप्त राशि	—	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
वर्ष के अंत में शेष		60,000,000.00		60,000,000.00
अनुसूची: 2: आरक्षित और बेशी				
वर्ष के आरंभ में शेष	212,417,104.89		—	
जमा: वर्ष के दौरान जमा	210,430,345.73		212,417,104.89	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		422,847,450.62	—	212,417,104.89
वर्ष के अंत में शेष		422,847,450.62		212,417,104.89
अनुसूची: 3: चिह्नित/वृत्तिदान निधियां				
वर्ष के आरंभ में शेष			—	
जमा: वर्ष के दौरान जमा			—	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		—	—	—
वर्ष के अंत में शेष		—		—
अनुसूची: 4: आरक्षित ऋण और उधारी				
वर्ष के आरंभ में शेष			—	
जमा: वर्ष के दौरान जमा			—	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती			—	—
वर्ष के अंत में शेष		—		—
अनुसूची: 5: अनारक्षित ऋण और उधारी				
वर्ष के आरंभ में शेष			—	
जमा: वर्ष के दौरान जमा			—	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		—	—	—
वर्ष के अंत में शेष		—		—
अनुसूची: 6: आगे ले जाई गई क्रेडिट देनदारियां				
वर्ष के आरंभ में शेष			—	
जमा: वर्ष के दौरान जमा		—	—	—
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		—	—	—
वर्ष के अंत में शेष				
अनुसूची: 7: चालू देनदारियां और प्रावधान				
जमा अग्रिम राशि	500,000.00		1,500,000.00	
पार्टियों द्वारा जमा प्रतिभूति			—	
शुल्क और कल	173,215.00		133,052.00	
संडरी क्रेडिटर	25,780,736.36	26,453,951.36	3,038,919.00	4,671,971.00
वर्ष के अंत में शेष		26,453,951.36		4,671,971.00

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)
तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2012		31-03-2011	
अनुसूची: 8: अचल संपत्तियां				
वर्ष के आरंभ में शेष	3,196,188.25		—	
जमा: वर्ष के दौरान जमा	10,338,520.00		3,737,098.00	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	3,000.00			
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	4,289,256.64	9,242,451.61	540,909.75	3,196,188.25
वर्ष के अंत में शेष		9,242,451.61		3,196,188.25
अनुसूची: 9: विहित/वृत्तिदान निधियों से निवेश				
सरकारी प्रतिभूतियों में			—	
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			—	
शेयर			—	
डिबेंचर तथा बांड			—	
इमदाद तथा संयुक्त उद्यम		—	—	—
अन्य	—		—	
वर्ष के अंत में शेष				
अनुसूची: 10: निवेश – अन्य				
सरकारी प्रतिभूतियों में			—	
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			—	
शेयर			—	
डिबेंचर तथा बांड			—	
इमदाद तथा संयुक्त उद्यम			—	
अन्य – एसबीपी में सावधि जमा	190,000,000.00		190,000,000.00	
अन्य – आईसीआईसीआई में सावधि जमा	200,000,000.00	390,000,000.00	60,000,000.00	250,000,000.00
वर्ष के अंत में शेष		390,000,000.00		250,000,000.00
अनुसूची: 11: चालू संपत्तियां, ऋण और अग्रिम				
क. चालू संपत्तियां				
1. पूंजी				
स्टोर (उपभोग्य)	590,771.24		230,594.64	
स्टोर (प्रकाशन)		590,771.24	—	230,594.64
2. संडरी ऋणदाता				
छ: माह की अवधि से कम के लिए बकाया ऋण			—	
अन्य			—	—
3. जमा तथा अग्रिम				
मुख्यालय			—	
क्षेत्रीय कार्यालय			—	
अन्य जमा		—	—	—
4. रोकड़ शेष				
हाथ रोकड़	12,658.00	12,658.00	22,426.00	22,426.00

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)
तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2012		31-03-2011	
5. बैंक बकाया				
क) अनुसूचित बैंकों में				
चालू खाते पर			—	
जमा खाते पर (मार्जन मनी सहित)			—	
बचत खाता एसबीपी बैंक पर	36,787,757.00		800,116.00	
बचत खाता आईसीआईसीआई बैंक पर	10,861,453.00	—	18,063,197.00	
बचत खाता आईसीआईसीआई बैंक पर				
डब्ल्यूओएसए 2012	20,489,415.09			
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में				
चालू खाते पर			—	
जमा खाते पर (मार्जन मनी सहित)			—	
बचत खाते पर		68,138,625.09	—	18,863,313.00
कुल (क)		68,742,054.33		19,116,333.64
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1. अग्रिम तथा अन्य वसूली योग्य राशि अग्रिम	17,165,981.07		343,962.00	
रोकड़ तथा इस प्रकार से वसूली योग्य प्राप्त की जा सकने वाली अन्य राशि	1,756,184.00	18,922,165.07	23,241.00	367,203.00
2. अर्जित आय				
चिह्नित/वृत्त निधियों से निवेश पर			—	
निवेश पर — अन्य	22,394,731.00		4,409,351.00	
अन्य		22,394,731.00	—	4,409,351.00
कुल (ख)		41,316,896.07		4,776,554.00
वर्ष के अंत में बकाया कुल : (क जमा ख)		110,058,950.40		23,892,887.64
अनुसूची: 12: बिक्री तथा सेवाओं से आय			—	—
कुल		—		—
अनुसूची: 13: अनुदान/इमदाद		—		
केन्द्र सरकार			—	
राज्य सरकार			—	
सरकारी एजेंसियां			—	
मूल निकास (एआईसीटीई)			—	
संस्थाएं/कल्याण निकाय			—	
अंतर्राष्ट्रीय संगठन		—	—	—
अन्य				
कुल	—	—		—

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)
तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2012		31-03-2011	
अनुसूची: 14: शुल्क/अंशदान				
एआईसीटीई से प्राप्त प्रत्यायन शुल्क का बकाया	—		150,000,000.00	
प्रत्यायन शुल्क	270,947,011.00		75,925,700.00	
आरटीआई फीस	610.00		90.00	
विलंब शुल्क	—		—	
कार्यवाही शुल्क	—		—	
पंजीकरण शुल्क	1,224,425.00		—	
समकक्ष शुल्क	—		—	
आवेदन शुल्क	181,000.00		—	
निविदा शुल्क	7,000.00		—	
कार्यशाला/सेमिनार फीस	25,350,570.73	—	—	—
		297,710,616.73		225,925,790.00
कुल		297,710,616.73		225,925,790.00
अनुसूची: 15: निवेश से आय				
चिह्नित/वृत्तिदान निधियों से निवेश पर आय	—		—	
निवेश पर आय — अन्य		—	4,412,610.00	4,412,610.00
विविध आय				
कुल		—		4,412,610.00
अनुसूची: 16: रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय				
रॉयल्टी/प्रकाशन इत्यादि से आय		—	—	—
कुल		—	—	
अनुसूची: 17: अर्जित ब्याज				
बैंकों के पास सावधि जमा पर	38,727,257.00		—	
बचत बैंक खातों पर	1,646,183.00	—	1,679,210.00	—
अन्य		40,373,440.00		1,679,210.00
कुल		40,373,440.00		1,679,210.00
अनुसूची: 18: अन्य आय				
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ से:			—	
स्वामित्व वाली संपत्तियां		—	—	—
अनुदान से प्राप्त अथवा निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां		—	—	
2. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		—		
3. विविध आय	45,077.00	45,077.00	13,840.00	13,840.00
कुल		45,077.00		13,840.00
अनुसूची: 19: प्रकाशन तथा उपभोज्यों के स्टॉक में वृद्धि (कमी)				
प्रकाशन और उपभोज्यों के स्टॉक खोलना	230,594.64			
घटा: प्रकाशन तथा उपभोज्यों के स्टॉक बंद करना	590,771.24	360,176.60	230,594.64	230,594.64
निवल वृद्धि/(कमी)		360,176.60		230,594.64

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित) तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2012		31-03-2011	
अनुसूची: 20: स्थापना व्यय				
वेतन एवं पारिश्रमिक	11,166,764.00		4,867,112.00	
भत्ते, बोनस, मानदेय/एलएस तथा पीसी	185,732.00		—	
भविष्य निधि में अंशदान			—	
अन्य निधियों में अंशदान/ईपीएफ अंशदान	127,419.00		42,617.00	
स्टाफ कल्याण व्यय			—	
कर्मचारी सेवानिवृत्ति तथा टर्मिनल लाभ पर व्यय			—	
चिकित्सा क्षतिपूर्ति			—	
एलटीसी			—	
पट्टे पर आवास से संबंधित किराया			—	
विविध स्थापना व्यय	11,479,915.00		4,909,729.00	
कुल		11,479,915.00		4,909,729.00
अनुसूची: 21: अन्य प्रशासनिक व्यय				
विज्ञापन व्यय	4,144,758.00		2,902,810.00	
लेखापरीक्षा शुल्क तथा लेखन प्रभार			9,927.00	
टेलीफोन/मोबाइल/इंटरनेट प्रभाग	259,141.00		98,079.00	
मेजबानी व्यय	590,891.00		254,197.00	
विद्युत तथा जल प्रभाग	15,000.00		—	
पेट्रोल तथा तेल प्रभाग	471,802.00		69,804.00	
टेक्सी किराये पर लेना	196,602.00		254,843.00	
यात्रा भाड़ा तथा माल भाड़ा			—	
लाइसेंस फीस (लीज आवास)	—		—	
विधायी प्रभार	357,097.00			
मरम्मत और अनुरक्षण				
फर्नीचर की मरम्मत और अनुरक्षण	300,473.00		84,620.00	
भवन की मरम्मत और अनुरक्षण	521,737.00		—	
उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण			—	
विद्युत सामान/जेनसेट की मरम्मत और अनुरक्षण	125,576.00		3,533.00	
वाहनों की मरम्मत और अनुरक्षण	111,210.00		55,755.00	
वार्षिक अनुरक्षण (एएमसी)				
वार्षिक अनुरक्षण कंप्यूटर नेटवर्क	—		—	
वार्षिक अनुरक्षण विद्युत	72,904.00			

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)
तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

विवरण	31-03-2012		31-03-2011	
अनुसूची: 21: अन्य प्रशासनिक व्यय				
विविध कार्यालय व्यय				
पोस्टेज	521,131.00		195,521.00	
कंप्यूटर उपभोज्य	196,950.00		130,511.50	
मुद्रण तथा स्टेशनरी	3,247,247.00		499,405.00	
ओटीए तथा यात्रा प्रभार	75,255.00		9,710.00	
बैंक प्रभार	5,273.00		1,130.00	
सदस्या, सेमिनार फीस, बैठक तथा अंशदान फीस	13,410,626.00		458,393.00	
समाचार-पत्र, पुस्तक तथा पिरयोडिकल	40,979.00		808.00	
बागीवानी व्यय	18,800.00		—	
बीमा प्रभार	8,763.00		390.00	
कार्यालय भवन के लिए किराया			12.00	
सैनीटेशन व्यय			—	
रेप्रोग्राफिक व्यय				
अन्य कार्यालय व्यय	213,541.03			
प्रीपेड व्यय	30,930.00			
विदेशी मुद्रा का अंतर	801.00			
पार्किंग शुल्क	1,200.00			
रोड टैल/टैक्स	55,570.00		75,215.50	
		24,994,257.03		5,104,664.00
कुल		24,994,257.03		5,104,664.00
अनुसूची: 22: अनुदान, इमदाद इत्यादि पर व्यय				
एआईसीटीई की योजना पर			—	
एनबीए की योजना पर		—	—	—
अन्य योजनाओं पर				
कुल		—		—
अनुसूची: 23: यात्रा व्यय				
टीए/डीए गैर-सरकारी	85,179,132.93		8,775,499.00	
टीए-डीए सरकारी	2,116,403.00	87,295,535.93	514,138.00	9,289,637.00
टीए आईडीए व्यय हस्तांतरण				
कुल		87,295,535.93		9,289,637.00

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित) अनुसूची में उल्लिखित अनुबंध

विवरण	31-03-12 राशि रुपये	31-03-11 राशि रुपये
अनुबंध : 1 : अग्रिम		
1. पार्टी को अग्रिम		
मैसर्स ऐप्पल ट्री होटल		26,955.00
मैसर्स ऑटोमोटिव्स	25,000.00	25,000.00
मैसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लि.	60,000.00	
मैसर्स एनबीसीसी, नई दिल्ली		7,200.00
मैसर्स भारती एयरटेल लि.	77,210.00	
मैसर्स बोमा मीडिया एंटरटेनमेंट प्रा. लि., हैदराबाद	30,000.00	
मैसर्स बोस कॉर्पोरेशन इंडिया प्रा. लि.	—	
मैसर्स डाइरेक्टोरेट एडवरटाइजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी	—	
मैसर्स डाइरेक्टर-एन.एस.आई.टी., नई दिल्ली	520,140.00	
मैसर्स होटल सम्राट, नई दिल्ली	20,000.00	
मैसर्स भारतीय पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली	11,000,000.00	
मैसर्स कैंट आरऔ सिस्टम लि.	—	
मैसर्स एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	5,096,861.00	245,897.00
मैसर्स राणा मोटर्स प्रा. लि.		110.00
मैसर्स एन.आ.ई.टी.आई.ई., मुंबई	—	
मैसर्स प्लाजा होटल, ताईपाई	9,002.00	
मैसर्स सागर रत्ना होटल प्रा. लि.	50,000.00	
मैसर्स श्री बालाजी फर्नीचर्स	150,000.00	
मैसर्स द अशोक, नई दिल्ली	344.07	
2. कर्मचारियों को अग्रिम		
श्री जितेंद्र कुमार	44,500.00	15,800.00
श्री एम.सी. त्यागी		3,000.00
श्री आर.के. गन्जू	11,000.00	10,000.00
श्री सत्यवान सिंह	20,000.00	2,000.00
डॉ. डी के पालीवाल	43,924.00	
डॉ. रंजन भट्टाचार्य		
3. इम्प्रेस्ट अग्रिम		
श्री जितेंद्र कुमार	2,000.00	2,000.00
श्री एम.सी. त्यागी	5,000.00	5,000.00
श्री आर.के. गन्जू	1,000.00	1,000.00
कुल	17,165,981.07	343,962.00
अनुबंध: 2: नगद अथवा किसी प्रकार से प्राप्त किए जाने वाले मूल्य की वसूली योग्य अन्य राशि		
पूर्व प्रदत्त व्यय	19,982.00	19,982.00
टीडीएस (वित्तीय वर्ष 2010-11)	3,559.00	3,559.00
टीडीएस (वित्तीय वर्ष 2011-12)	1,732,643.00	—
कुल	1,756,184.00	23,541.00

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजनागत तथा योजनेतर निधि (समेकित)
अनुसूची में उल्लिखित अनुबंध

विवरण	31-03-2012 राशि रु	31-03-2011 राशि रु
अनुबंध: 3 संडरी क्रेडिटर		
देय व्यय	25,763,147.36	62,728.00
एआइसीटीसीई	12.00	12.00
मैसर्स अभिशी ओफिस ऑटोमेशन प्रा. लि.	.	184,798.00
मैसर्स एन्जेल इंटरप्राइजेस	.	78,256.00
मैसर्स अंकुर हॉस्पिटालिटी सर्विसेज, नागपुर	.	1,690.00
मैसर्स अशोक ट्रेवेल्स एंड टूर, नई दिल्ली	.	8,168.00
मैसर्स ऑटोराइड्स इंटरनेशनल लि.	.	1,011,361.00
मैसर्स एक्सिस ऑटोमेशन	.	2,783.00
मैसर्स बेदी एंड बेदी एषोसिएट्स	.	333,573.00
मैसर्स भारत कार्स	.	21,802.00
मैसर्स भारत कुमार	.	21,945.00
मैसर्स डेक्कन प्लाजा होटल्स	.	85,740.00
मैसर्स एचएमएटीसी	.	58,487.00
मैसर्स होटल मंदाकिनी एम्बीएस	.	29,452.00
मैसर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	.	13,023.00
मैसर्स इनफिनीटी एडवरटाइजिंग सर्विसेज प्रा. लि.	.	29,468.00
मैसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट	.	4,112.00
मैसर्स के.के. गोयल एंड एषोसिएट्स	9,927.00	9,927.00
मैसर्स कमल इंटरप्राइजेस	.	115,133.00
मैसर्स कुरिनजी मुरुगन, मदुरई	.	36,983.00
मैसर्स मीनाक्षी सनशाइन होटल, मदुरई	.	73,252.00
मैसर्स नेशनल एडवरटाइजिंग एजेंसी	.	95,776.00
मैसर्स एनसीसीएफ आ ई एल, नई दिल्ली	.	127,254.00
मैसर्स वरिष्ठ पोस्ट मास्टर, सरोजनी नगर, नई दिल्ली	450.00	326,131.00
मैसर्स एस. जे. ट्रेवेल्स	.	36,211.00
मैसर्स एस. के. कैब्स, बंगलौर	.	33,546.00
मैसर्स सलीम कैब्स, कोयम्बटूर	.	53,205.00
मैसर्स शिवा कैब्स, चेन्नई	.	49,910.00
मैसर्स श्री आरवी होटल, कोयम्बटूर	.	119,193.00
मैसर्स वीएनआ ईटी, नागपुर	.	15,000.00
मैसर्स एनबीसीसी, नई दिल्ली	7,200.00	.
कुल	25,780,736.36	3,038,919.00

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
योजनागत तथा योजनातर निधि समीकित अनुसूची में उल्लिखित अनुबंध
आयकर के अधिनियम अनुसार अवमूल्यन

अनुबंध: 4: अवल संपत्तियां अनुसूची

विवरण	1.4.11 के अनुसार डब्ल्यूडीवी	जमा		हटाना	कुल	1.4.11 के अनुसार डब्ल्यूडीवी	31.03.2012 तक अवमूल्यन	1.4.11 के अनुसार डब्ल्यूडीवी	चालू वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2012 के अनुसार डब्ल्यूडीवी
		180 दिनों से अधिक	180 दिनों से कम							
किताबें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कंप्यूटर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
फर्नीचर और फिटिंग	473,782.10	161,301.00	319,592.00	—	954,675.10	10	24,935.90	473,782.10	79,487.91	875,187.19
भूमि और भवन	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
लोगो स्टेशनरी	248,175.00	—	—	—	248,175.00	25	82,725.00	248,175.00	62,043.75	186,131.25
कार्यालय उपकरण	1,068,854.87	828,634.00	882,749.00	3,000.00	2,777,237.87	25	240,917.12	1,068,854.88	583,965.84	2,193,272.00
पेटेंट तथा ट्रेडमार्क	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—
प्लांट तथा मशीनरी	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—
सॉफ्टवेयर	—	3,016,765.00	5,115,979.00	—	8,132,744.00	60	—	—	3,344,852.70	4,787,891.30
सॉफ्टवेयर टैली. ईआरपी	—	13,500.00	—	—	13,500.00	60	—	—	8,100.00	5,400.00
वाहन, स्टाफ कार	1,405,376.28	—	—	—	1,405,376.28	15	192,331.73	1,405,376.28	210,806.44	1,194,569.84
कुल	3,196,188.25	4,020,200.00	6,318,320.00	3,000.00	13,531,708.25	—	540,909.75	3,196,188.26	4,289,256.64	9,242,451.58

ह/- (गिरीश भसीन) कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/- (डॉ.डी के पालीवाल) सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
योजनागत तथा योजनातर निधि समीकित अनुसूची में उल्लिखित अनुबंध आयकर के अधिनियम अनुसार अवमूल्यन

विवरण	1.4.11 के अनुसार डब्ल्यूडीवी	जमा		हटाना	कुल	रिजर्व फंड	31.03.2012 तक अवमूल्यन	1.4.11 के अनुसार डब्ल्यूडीवी	चालू वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2012 के अनुसार डब्ल्यूडीवी
		180 दिनों से अधिक	180 दिनों से कम							
कैश चैस्ट	10,912.50	—	—	—	10,912.50	25	3,637.50	10,912.50	2,728.13	8,184.37
फैक्स मशीन	22,693.12	—	28,400.00	—	51,093.12	25	5,236.88	22,693.12	12,773.28	38,319.84
मोबाइल फोन	5,887.50	—	—	—	5,887.50	25	1,962.50	5,887.50	1,471.88	4,415.62
अन्य कार्यालय उपकरण	51,895.38	202,448.00	175,282.00	3,000.00	426,625.38	25	7,413.62	51,895.38	84,746.10	341,879.28
फोटोकॉपी मशीन	427,237.50	—	—	—	427,237.50	25	110,072.50	427,237.50	106,809.38	320,428.13
प्रिंटर	46,422.25	—	—	14,963.00	61,385.25	25	6,631.75	46,422.25	13,475.94	47,909.31
प्रोजेक्टर	161,698.25	—	—	—	161,698.25	25	23,099.75	161,698.25	40,424.56	121,273.69
रेफ्रिजरेटर	13,125.00	—	—	—	13,125.00	25	1,875.00	13,125.00	3,281.25	9,843.75
स्केनर	40,505.50	—	—	—	40,505.50	25	5,786.50	40,505.50	10,126.38	30,379.13
टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम	188,710.37	—	1,000.00	—	189,710.37	25	60,948.62	188,710.38	47,427.59	142,282.78
टेलीविजन	59,500.00	—	—	—	59,500.00	25	8,500.00	59,500.00	14,875.00	44,625.00
टैडर बॉक्स	2,165.63	—	—	—	2,165.63	25	309.38	2,165.62	541.41	1,624.22
वाल फैन	19,201.87	—	6,126.00	—	25,327.87	25	2,743.13	19,201.88	6,331.97	18,995.90
वाटर डिस्पेंसर	18,900.00	—	—	—	18,900.00	25	2,700.00	18,900.00	4,725.00	14,175.00
एयर कंडिशनर	—	221,200.00	—	—	221,200.00	25	—	—	55,300.00	165,900.00
सीसीटीवी कैमरा	—	—	98,381.00	—	98,381.00	25	—	—	12,297.63	86,083.38
कॉफी बार मशीन	—	99,000.00	—	—	99,000.00	25	—	—	24,750.00	74,250.00
सर्वर के लि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक	—	—	14,581.00	—	14,581.00	25	—	—	1,822.63	12,758.38
फिंगर प्रिंट मशीन	—	65,813.00	—	—	65,813.00	25	—	—	16,453.25	49,359.75
स्केनलाइजर	—	—	33,500.00	—	33,500.00	25	—	—	4,187.50	29,312.50
यूपी.स सिस्टम	—	—	546,042.00	—	546,042.00	25	—	—	68,255.25	477,786.75
स्नेक बॉडिंग मशीन	—	199,647.00	—	—	199,647.00	25	—	—	49,911.75	149,735.25
वनज मशीन	—	5,000.00	—	—	5,000.00	25	—	—	1,250.00	3,750.00
कुल	1,068,854.87	828,634.00	882,749.00	3,000.00	2,777,237.87	—	240,917.13	1,068,854.88	583,965.84	2,193,272.00

ह/- (गिरीश भसीन) कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/- (जॉ.डी के पालीवाल) सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजना एवं योजनेतर निधि (समेकित) 31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्ति तथा भुगतान लेखे

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2011-12		भुगतान	2011-12
आरंभिक शेष			स्थापना व्यय	112,881.00
हाथ रोकड़	22,426.00	—	अन्य प्रशासनिक व्यय	659,922.00
बैंक नगदी	18,863,313.00	—	विविध कार्यालय व्यय	649,256.00
बैंक में सावधि जमा	—	18,885,735.90	अनुदान और इमदार व्यय	—
			मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	70,465.00
विक्री तथा सेवा से आय	—	—	यात्रा व्यय	1,596,144.00
प्राप्त सहायता अनुदान	—	—	टंचल संपत्तियों की खरीद	9,270.00
फीस और अंशदान	—	300,625,584.09	अन्य भुगतान	128,962,596.00
प्राप्त तथा अर्जित व्याज	—	20,655,417.00		
जमा पेशगी राशि	—	—	अंतिम बकाया	
अन्य प्राप्ति	—	45,077.00	हाथ रोकड़	12,658.00
			बैंक नगदी	68,138,625.09
			बैंक में सावधि जमा	140,000,000.09
कुल	18,885,739.00	340,211,817.09	कुल	340,211,817.09

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजना एवं योजनेतर निधि (समेकित)
उपभोगीय भंडार का विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	31.3.2012 को मात्रा	दर प्रति मात्रा रुपए	राशी रुपए	क्र. सं.	मद का नाम	31.3.2012 को मात्रा	दर प्रति मात्रा रुपए	राशी रुपए
1	पेन ड्राइव	1	550.00	550.00	39	ट्रे फाइल	2	125.00	250.00
2	डस्टबिन	4	55.00	220.00	40	टेग - सफेद	28	78.00	2,184.00
3	कैलकुलेटर	1	289.00	289.00	41	टेग ग्रीन	8	78.00	624.00
4	कटर	17	12.45	211.65	42	फाइल कवर	2699	1729'8.8	38,715.20
5	डस्टर पीला	38	26.00	988.00	43	फोटोकॉपी टोनर - तोहसिबा	11	6,650.00	73,150.00
6	लिफाफा एसई-5	7830	0.60	4,698.00	44	टेलीफोन सूचकांक डायरी	10	69.00	690.00
7	लिफाफा एसई-6	978	0.72	704.16	45	फ्लेग आईटी पैड	9	42.00	378.00
8	एसिड	1	24.90	24.90	46	साबून	9	15.16	136.44
9	फाइल कवर एनज888	2787	8.80	24,525.60	47	चम्मच बड़ा	2 सेट	12.50	300.00
10	डाक पैड	4	34.00	136.00	48	चम्मच छोटा	2 सेट	7.91	190.00
11	फाइल ट्रे	12	38.50	462.00	49	टोकरी	4	1'111	443.40
12	आल पिन	10	15.00	150.00	50	सीडीआर	40	29.90	1,196.00
13	हाइलाइटर	7	18.00	126.00	51	फैक्स टोनर	2	3,500.00	7,000.00
14	पर्मनेंट मार्कर	27	14.16	382.32	52	सुई	10	3.00	30.00
15	सिंगल पंच	58	38.15	2,212.70	53	फाइल रजिस्टर	11	1'126	966.00
16	स्कैच पेन	66	51.84	3,421.44	54	शे बाल	19	10.80	205.20
17	पंच दू होल	7	69.00	483.00	55	गम बॉटल	17	40.00	680.00
18	पेपर वेट	25	7.85	196.25	56	ग्लास बोरोसिल	33	9'55	1,494.84
19	टोनर 54ए	1	1,416.66	1,416.66	57	ग्लास जूस	6	95.00	570.00
20	पेन स्टैंड होल्डर	3	282.00	846.00	58	सीएफएल	31	10'174.5	3,736.43
21	पेसिल सैल	8	7.30	58.40	59	बाइपर	10	58.30	583.00
22	प्लेट पूरी	2 सेट	1,240.00	2,480.00	60	फ्लोर डस्टर	48	21.00	1,008.00
23	प्लेट आधी	36	83.00	2,988.00	61	ओडोनिल	50	40.00	2,000.00
24	हाजिरी रजिस्टर	13	33.00	429.00	62	फेना	5	24.89	124.45
25	कैश बुक	4	340.00	1,360.00	63	टोनर कलर	1	3,690.00	3,690.00
26	स्टॉक रजिस्टर	1	330.00	330.00	64	स्टेपलर पिन 23'6	61	45.20	2,757.20
27	जारी चैक रजिस्टर	1	285.00	285.00	65	ट्रांसपेरेंसी शीट	5	211.31	1,056.55
28	शार्ट हैंड नोट बुक	33	3'12	388.00	66	लॉग बुक	1	69.00	69.00
29	अनुभाग डायरी रजिस्टर	21	231.00	4,851.00	67	पेपर लीगल	6	185.20	991.20
30	मार्किंग कपड़ा	64 मी.	14'28	2,494.50	68	स्टांप	2	30.00	60.00
31	शापनर	40	2.10	84.00	69	स्टीकर	4	236.20	944.80
32	स्त्रेपलर एचडी	8	61.50	492.00	70	चपरासी पुस्तिका	1	33.00	33.00
33	स्कैल	16	10.50	168.00	71	बोरोसिल ग्लास	5 सेट	312.00	1,560.00
34	कैची	1	59.00	59.00	72	नैपकिन	6	55.00	330.00
35	स्त्राप पैड	5	15.50	77.50	73	बोर्ड पिन	3	15.60	46.80
36	सुतली प्लास्टिक	1	96.00	96.00	74	रबर बैंड	1	203.37	203.37
37	स्त्रे हिट	5	657.80	3,289.00					
38	ट्रे सर्विस	1	135.00	135.00					

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

योजना एवं योजनेतर निधि (समेकित) उपभोगीय भंडार का विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	31.3.2012 को मात्रा	दर प्रति मात्रा रुपए	राशी रुपए	क्र. सं.	मद का नाम	31.3.2012 को मात्रा	दर प्रति मात्रा रुपए	राशी रुपए
75	टी सेट	3	971.00	2,913.00	106	ट्यूब	23	34.05	783.15
76	स्टेपलर पिन 24'6	42	17.50	735.00	107	सैलो टेप	9	34.00	306.00
77	विंडो लिफाफा	750	1.69	1,267.50	108	हाथ तौलिया	6	33.10	198.60
78	भूरा टेप	34	22.76	773.84	109	चोंक कॉपर	12	141.70	1,700.40
79	स्टेपलर 10 डी	78	35.97	2,805.66	110	स्मार्टर	12	6.67	80.04
80	बॉक्स फाइल	44	76.00	3,344.00	111	कॉफी मग	6	28.88	173.28
81	फाइल बोर्ड	390	8.00	3,120.00	112	प्लास्टिक फोल्डर	6	8.90	53.40
82	अवर स्नातक बुक	345	41.33	14,258.85	113	हार्पिक	22	2'62	1,084.00
83	एमओए एवं नियम	185	42.00	7,770.00				20'48	
84	स्लेपलर पिन 10 डी	43	4.80	206.40	114	झाड़ू	8	27.50	220.00
85	पेपर होल्डर	535	225.00	120,375.00	115	लिफाफा ए4	491	3.68	1,806.88
86	टोनर 1053	6	3,399.00	20,394.00	116	डिटोल लिक्विड	22	51.56	1,134.32
87	स्नातकोत्तर बुक	229	61.00	13,969.00	117	स्लिप पैड	241	20.60	4,964.60
88	रेनाल्डस पेन	167	5.20	868.40	118	स्लेपलर एचनी 45	18	105.73	1,903.14
89	ग्लू स्टिक	205	5'30.75	5,253.75	119	कॉर्टेज एमएल डी 3470	9	5,145.00	46,305.00
			200'25.5		120	कॉर्टेज एससीएक्स डी 4521	8	4,150.00	33,200.00
90	होमोकूल	12	107.00	1,284.00	121	कॉर्टेज केनन सीएमवाई	28	779.00	21,812.00
91	ग्लास टम्बलर	7	10.88	76.16	122	कॉर्टेज केनन खाली	9	897.00	8,073.00
92	बेगोन स्प्रे पंप	3	32.00	96.00	123	पायलट पेन	140	23.03	3,224.20
93	फलैंग	69	27.75	1,914.75	124	रजिस्टर	37	51.85	1,918.45
94	जैम्स विलप 8.30 एमएम	156	8.40	1,310.40	125	पेंसिल	71	2.38	168.98
95	फिनायल	1	139.00	139.00	126	रूम फ्रेशनर	16	82.60	1,321.60
96	फल्यूड	21	16.65	349.65	127	हाइलाइटर	41	15.75	645.75
97	बेगोन स्प्रे 5 लीटर	1	666.50	666.50	128	बोर्ड मार्कर पेन	12	20.49	245.88
98	आलआउट रिफिल	12	45.33	543.96	129	रबर	53	2.29	121.37
99	बिडर क्लिप	26	43.93	1,142.18	130	कॉस्टर	21	16.74	351.54
100	नोट शीट	98	45.25	4,434.50	131	एम. सी हैवेल्स	1	263.00	263.00
101	कोलिन	48	48.00	2,304.00	132	माउस पैड	41	21.60	885.60
102	एनबीए का लेटर हैड	4500	5.63	25,335.00	133	माउस	10	344.70	3,447.00
103	लिफाफा एसई 8	500	3.50	1,750.00	134	टोनर 88ए	1	2,665.00	2,665.00
104	खाली डीवीडी	21	37.60	789.60	135	एनबीए लोगो एवं हस्ताक्षर	1	180.00	180.00
105	डस्टर सफेद	80	10.50	840.00					
						कुल योग			590,771.24

ह/-

(गिरीश भसीन)

कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार

ह/-

(डॉ.डी के पालीवाल)

सदस्य सचिव